सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 35 राँची, बुधवार, 21 जनवरी, 2026 (ई०)

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2025

अधिसूचना

16 जनवरी, 2026

सूचनासंख्या- 123 दिनांक – 16/01/2026

विद्युत अधिनियम, 2003 (सन् 2003 का 36) की धारा 181 कीउपधारा (1) तथा धारा 181 की उपधारा (2) के खंड (zd), (ze) और (zf), तथा धारा 61, धारा 62 और धारा 86 के साथ पठित, और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं। यह विनियम अधिनियम की धारा 61 और 62 में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के किफायती उपयोग, उत्तम प्रदर्शन और निवेश के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने हेतु विवेकपूर्ण व्यय की वसूली केलिए बहुवर्षीय शुल्क के निर्धारण की व्यवस्था करना है।

अध्याय – 1:

क्षेत्र, परिमाण तथा परिभाषाएँ

A1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन

1.1 इन विनियमों को झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम झारखण्ड सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि केलिए प्रभावी होंगे, और जब तक आयोग द्वारा इन की पूर्व समीक्षा न की जाए या इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाए, तब तक ये विनियम 31 मार्च, 2031 तक प्रभावी रहेंगे।

1.4 ये विनियम झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2020, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2015, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2010, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क निर्धारण की शर्तें एवं नियम, बहुवर्षीय शुल्क ढांचा) विनियम, 2007, तथा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2004, तथा इनके सभी संशोधनों, जैसा कि मामला हो, का स्थान लेंगे:
स्पष्टीकरण: सभी उद्देश्यों केलिए, जिनमें 31 मार्च, 2026 तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामलों सहित सभी प्रयोजनों को भी शामिल किया गया है, समग्र राजस्व आवश्यकता और शुल्क निर्धारण से संबंधित मुद्दों को झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 या झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2020 या झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2015 या झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2010 या झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क निर्धारण की शर्तें एवं नियम, बहुवर्षीय शुल्क ढांचा) विनियम, 2007 या झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2004 तथा उनके सभी संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जैसा कि लागू हो।

A2.विनियमों का क्षेत्र और आवेदन का विस्तार

2.1 ये विनियम झारखण्ड राज्य के भीतर विभिन्न उपभोक्ता वर्गों सहित अन्य वितरण लाइसेंसधारियों केलिए व्हीलिंग और रिटेल सप्लाई व्यवसायों के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिल किए जाने वाले समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) और टैरिफ के निर्धारण केलिए लागू होंगे।

2.2 इन विनियमों में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित केलिए शुल्क निर्धारित करेगा:

a) विद्युत के व्हीलिंग, अर्थात्नियंत्रण अवधि केलिए व्हीलिंग टैरिफ, एवं;

b) विद्युत की खुदरा आपूर्ति, अर्थात्नियंत्रण अवधि केलिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ:

शर्त यह है कि यदि किसी एक ही क्षेत्र में दो या अधिक लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत वितरण किया जाताहै, तो आयोग लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने केलिए विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु केवल अधिकतम टैरिफ की सीमा निर्धारित कर सकता है:
अतिरिक्त शर्त यह है कि जहाँ किसी उपभोक्ता वर्ग को अधिनियम की धारा 42 के तहत ओपन एक्सेस की अनुमति दी गई है, वहाँ आयोग इन विनियमों और झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय ओपन एक्सेस) विनियम, 2016 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, व्हीलिंग टैरिफ, क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज और अन्य ओपन एक्सेस संबंधी शुल्क निर्धारित करेगा।

2.3 व्हीलिंग व्यवसाय केलिए निर्धारित समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) का उपयोग विद्युत के व्हीलिंग केलिए व्हीलिंग टैरिफ निर्धारित करने में किया जाएगा।

2.4 खुदरा आपूर्ति व्यवसाय केलिए निर्धारित समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) का उपयोग विद्युत की खुदरा बिक्री केलिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने में किया जाएगा।

2.5 ये विनियम पूरे झारखण्ड राज्य और आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर लागू होंगे।

A3. परिभाषाएँ और व्यख्या

3.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो-

1. '**लेखा विवरण**'(Accounting Statement)' **से तात्पर्य प्रत्येक** वित्तीय वर्ष केलिए वह विवरण है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

   i. बहीखाता, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके पूर्व वर्तियों में निहित प्रपत्रों के अनुसार तैयार किया गया हो;

   ii. नकदी प्रवाह विवरण, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया हो;

   iii. लागत लेखे के विवरण, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों;

   iv. उससे संबंधित टिप्पणियाँ तथा अन्य सहायक विवरण और सूचनाएँ जो वित्तीय विवरणों का भाग बनती हैं या जैसा आयोग समय-समय पर निर्देशित करे;

   v. लाभ और हानि खाता, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार हो;

   vi. वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जिसमें संबंधित परिशिष्ट और परिशिष्टि का सम्मिलित हों;

   vii. आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ विनियमन हेतु अधिसूचित सभी या कोई भी प्रारूप, जिनमे प्रासंगिक वर्ष से सम्बंधित बहुवर्षीय टैरिफ विनियम भी शामिल हैं;

   viii. समायोजन विवरण, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसमें कंपनी के कुल व्यय, राजस्व, संपत्तियाँ और दायित्वों का आयोग द्वारा विनियमित व्यवसाय तथा अविनियमित व्यवसाय केलिए अलग-अलग सामंजस्य दर्शाया गया हो।

2. '**अधिनियम**' से आशय विद्युत अधिनियम, 2003 (सन् 2003 का 36) तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों से है;

3. '**अतिरिक्त पूंजीकरण**' से आशय उस पूंजीगत व्यय से है, जिसे योजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद व्यय कि या गया हो और पूंजीकरण किया गया हो या पूंजीकरण केलिए प्रस्तावित किया गया हो, तथा जिसे आयोग द्वारा

विवेकपूर्णता की जांच के पश्चात तथा इन विनियमों के खंड 10.13 के प्रावधानों के अधीन स्वीकृत किया गया हो;

4. "**समग्र राजस्व आवश्यकता' या** '(ARR)' का अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष केलिए लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित वे व्यय जो इन विनियमों के अनुसार स्वीकार्य हों और जिन्हें आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ और शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है;

5. '**आवंटन विवरण' से आशय है प्रत्येक वित्तीय वर्ष केलिए**, **लाइसेंसधारी के प्रत्येक व्यवसाय** (**व्हीलिंग**, **खुदरा आपूर्ति**, **अन्य व्यवसाय**) **के संबंध में एक विवरण**, **जिसमें किसी भी प्रकार की आय**, **लागत**, **संपत्ति**, **दायित्व**, **आरक्षण या प्रावधान आदि की राशियाँ दर्शाई जाती हैं**, **जो**:
लाइसेंसधारी के विभिन्न व्यवसायों सहित लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के बीच वितरण या आवंटन के अनुसार निर्धारित किया गयाहो, जिसके साथ वितरण या आवंटन के आधार का विवरण भी दिया गया हो;
या
प्रत्येक ऐसे अन्य व्यवसाय से वसूली गई अथवा उस पर लगाई गई हो, **जिसके साथ उस शुल्क के आधार का विवरण भी दिया गया हो**;"

6. **ऑडिटर**' से आशय उस लेखापरीक्षक से है जिसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1 का 1956) की धाराएँ 224, 233 बी और 619 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित होते रहने वाले या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 का 2013) के अध्याय दस के अनुसार या किसी भी अन्य प्रभावी कानून के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो;

7. "**बैंकदर**" से अभिप्रेत एक वर्ष की मर्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) है जो समय-समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संबंधित वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है।

8. '**आधारवर्ष**' से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष 2025-26 है और इसे इन विनियमों के प्रयोजनों केलिए उपयोग किया जाता है।

9. '**वहनलागत**' से अभिप्राय अंतर/अधिशेष राशि पर देय ब्याज राशि से है।

10. '**संग्रहदक्षता**' से अभिप्राय है किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राजस्व का बिल किए गए कुल राजस्व के अनुपात से।

11. '**आयोग**' सेअभिप्रेत है झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC);

12. '**व्यवसाय संचालन विनियम**' से अभिप्रेत झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) विनियम, 2024 से है ,जैसा की समय समय पर संशोधित किया गया है (व्यवसाय संचालन):

13. '**नियंत्रण अवधि** 'का अर्थ है वह बहुवर्षीय अवधि जो आयोग द्वारा निर्धारित की गई हो, जो 01 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2026 तक हो;

14. '**घोषित वितरण लाइसेंसधारी**' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति/संगठन जिसे अधिनियम की धारा 14 केअंतर्गत वितरण अनुज्ञप्ति धारक माना गया हो;

15. '**वितरण लाइसेंसधारी**' से अभिप्रेत वह अनुज्ञप्ति धारक है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अपनी आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली संचालित

और संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त हो।

16. '**वित्तीय वर्ष**' से अभिप्रेत वह अवधि है जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है;

17. '**फोर्स मेज्योर इवेंट**' से अभिप्रेत है, किसी भी पक्ष के संदर्भ में, कोई भी घटना या परिस्थिति, या घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन, जो उस पक्ष के नियंत्रण में नहीं हो, और उस पक्ष की कोई चूक या कार्रवाई का परिणाम न हो, तथा जिसे उचित देखभाल और सतर्कता के बावजूद रोका नहीं जा सकता; और सामान्यता को सीमित किए बिना, इनमें निम्नलिखित घटनाएँ या परिस्थितियाँ शामिल होंगी:

(i) 'प्रकृति की इत्यूद्दश्य घटनाएँ', जिनमें शामिल हैं पर सीमित नहीं, बिजली गिरना, तूफ़ान, प्राकृतिक तत्वों की क्रिया, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, सूखा तथा प्राकृतिक आपदाएँ या कोई भी ऐसी प्रभुता वाली घटना जो किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो या राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्यवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण हुई हो;

(ii) राज्य व्यापी या व्यापक प्रभाव वाले हड़तालें और औद्योगिक विघ्न, जो अनुज्ञप्तिप्राप्तकर्ता के आपूर्ति क्षेत्र में हो, परंतु वितरण अनुज्ञप्ति धारक के अपने संगठन में हुई हड़ताल और औद्योगिक विघ्नों को छोड़कर;

(iii) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कोई कृत्य, विद्रोह, दंगें, क्रांति, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई;

(iv) अपरिहार्य दुर्घटना, जिसमें अग्नि, विस्फोट, रेडियो धर्मी प्रदूषण और विषैले रासायनिक प्रदूषण सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, शामिल हैं

(v) ग्रिड का कोई भी शटडाउन या अवरोधन, जो संबंधित लोड प्रेषण केन्द्र द्वारा आवश्यक यानि र्देशित किया गया हो;

18. '"**अन्य व्यावसायिक आय**" से अभिप्राय वह आय है जो वितरण लाइसेंसधारी को विनियमित व्यवसाय से संबंधित परिसंपत्तियों और/या जनशक्ति के उपयोग केलिए शुल्क (टैरिफ) के अतिरिक्त प्राप्त होती है, तथा इसमें गैर-टैरिफ आय सम्मिलित नहीं होगी।

19. "**लाइसेंस**" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त वितरण अनुज्ञप्ति से है।

20. "**लाइसेंस्ड व्यवसाय**" से अभिप्राय वे कार्य और गतिविधियाँ हैं जिन्हें लाइसेंसधारी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार या अधिनियम के अंतर्गत घोषित लाइसेंसधारी होने के नाते करना आवश्यक है।;

21. "**गैर-टैरिफआय**" से अभिप्राय विनियमित व्यवसाय से संबंधित वह शुद्ध आय है, जो खंड संख्या **10.53** में परिभाषित टैरिफ से प्राप्त आय के अतिरिक्त हो, तथा जिसमें अन्य व्यवसाय से प्राप्त कोई भी आय शामिल नहीं होगी।

22. "**ओपन एक्सेस उपभोक्ता**" से अभिप्राय किसी भी लाइसेंसधारी, उपभोक्ता, क्रेता या उत्पादन में संलग्न व्यक्ति से है, जिसे समय-समय पर संशोधित की गई झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय ओपन एक्सेस केलिए शर्तें एवं नियम) विनियम, 2016 के

अनुसार ओपन एक्सेस प्रदान की गई हो।

23. "**अन्यव्यवसाय**" से अभिप्राय वितरण लाइसेंसधारी के उस अन्य किसी भी व्यवसाय से है, जो उसकी परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग केलिए अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत किया जाता है।

24. "**सतर्कता परीक्षण**" से अभिप्राय वितरण लाइसेंसधारी द्वारा इन विनियमों के अनुसार व्ययित अथवा व्ययित किए जाने का प्रस्तावित किसी भी लागत या व्यय की युक्तिसंगत ताकी जांच से है।

25. "**खुदरा आपूर्ति व्यवसाय**" से अभिप्राय बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति केलिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार, किसी लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं की श्रेणियों को बिजली बिक्री के व्यवसाय से है।

26. "**खुदरा आपूर्ति टैरिफ**" से अभिप्राय वह दर है जो लाइसेंस धारी द्वारा गैर-ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति केलिए वसूल की जाती है, जिसमें वहन (व्हीलिंग) तथा खुदरा आपूर्ति से संबंधित शुल्क शामिल होते हैं;

27. "**व्यापार व्यवसाय**" से अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसमें लाइसेंसधारी बिजली की खरीद करता है ताकि उसे किसी अन्य लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के बाहर स्थित उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं की श्रेणियों को पुनः बिक्री हेतु बेचा जा सके;

28. "**टैरिफअवधि**" से अभिप्राय वह अवधि है जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2031तककीहै, जिसकेलिएआयोगद्वाराइनविनियमोंकेअंतर्गतटैरिफनिर्धारितकियागयाहै;

29. "**व्हीलिंग**" से अभिप्राय वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत प्रवहन केलिए किया जाता है, जिस केलिए अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है;

30. "**व्हीलिंगव्यवसाय**" से अभिप्राय लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के प्रवहन हेतु वितरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के व्यवसाय से है;

31. '**औसत आपूर्ति लागत**' अथवा (ACoS) से अभिप्राय एक इकाई विद्युत की आपूर्ति की औसत लागत से है।

32. '**ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार**' या (FPPAS) से आशय है उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की लागत में वृद्धि, जो ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और संचरण शुल्क में बदलाव के कारण होती है, और इसे आयोग द्वारा स्वीकृत आपूर्ति लागत के संदर्भ में देखा जाता है;

3.2 "इन विनियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परपरिभाषित नहीं की गई हैं, किन्तुअधिनियम में परिभाषित हैं, उन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ में समझा जाएगा".

3.3 किसी भी अधिनियम, नियम और विनियम का संदर्भ उसमें किए गए संशोधन, संश्लेषण या पुनः प्रवर्तन को भी शामिल करेगा.

3.4 "इन विनियमों केअंतर्गत सभी कार्यवाहियाँ, समय-समय पर संशोधित अथवा पुनःप्रवर्तित झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2024 द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।"

A 4. **सहमत टैरिफ अधिकतम टैरिफ के रूप में स्वीकृत**

4.1 संदेह दूर करने केलिए स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित टैरिफ अधिकतम मूल्य (सीलिंग टैरिफ) हैं और इससे वितरण लाइसेंसधारी को किसी उपभोक्ता केलिए घटित टैरिफ प्रस्तावित करने से रोका नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में घटित टैरिफ को राजस्व निर्धारण केलिए माना नहीं जाएगा क्योंकि यह वितरण लाइसेंसधारी की देनदारी होगी।

अध्याय II:

शुल्क रूपरेखा और मार्गदर्शक सिद्धांत

A 5. बहुवर्षीयशुल्क (MYT) रूपरेखा

5.1 बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) रूपरेखा 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी और जब तक आयोग द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाती या आगे विस्तारित नहीं की जाती, तब तक यह 31मार्च, 2031 तक लागू रहेगी। नियंत्रण अवधि केलिए अनुमानित राजस्व आवश्यकता (ARR) की फाइलिंग इन विनियमों में निहित MYT रूपरेखा के अनुरूप की जाएगी।

5.2 वितरण लाइसेंसधारी, इन विनियमों के खंड ए24 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, आयोग के समक्ष सहायक दस्तावेजों सहित MYT आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5.3 बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) आवेदन में, पिछले नियंत्रण अवधि के वर्षों हेतु वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के लेखा-परीक्षित खातों के आधार पर अनुमानित राजस्व आवश्यकता (ARR) के विवरण और उसका विभाजन, आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान, तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष केलिए प्रक्षेपण शामिल होंगे।

5.4 बहुवर्षीय टैरिफ (MYT)रूपरेखा केलिए मार्गदर्शक सिद्धांत इन विनियमों के खंड ए6 में वर्णितहैं।

5.5 नियंत्रण अवधि केलिए अनुमानित राजस्व आवश्यकता (ARR) निर्धारण के सिद्धांत इन विनियमों के अध्याय में वर्णित हैं तथा नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक फाइलिंग की प्रक्रिया इन विनियमों के अध्यायIV में वर्णित है।

A6.बहुवर्षीयशुल्क (MYT) रूपरेखा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

6.1 आयोग, अनुमानित राजस्व आवश्यकता (ARR) के अनुमोदन तथा व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ व्यवसाय से अपेक्षित राजस्व केलिए एक बहु-वर्षीय टैरिफ ढाँचा अपनाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष केलिए ए आर आर निर्धारित किया जाएगा।

6.2 बहुवर्षीय शुल्क रूपरेखा निम्नलिखित पर आधारित होगी:

a) लाइसेंसधारियों के पूरे नियंत्रण अवधि के लिए व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की व्यवसाय योजना, जिसे नियंत्रण अवधि शुरू होने से पहले या आयोग द्वारा निर्देशित समय के भीतर MYT याचिका के साथ अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

b) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंसधारियों द्वारा अपेक्षित अनुमानित राजस्व आवश्यकता (ARR), आगामी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का पूर्वानुमान, जो इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय एवं परिचालन सिद्धांतों / मानकों की यथोचित मान्यताओं और व्यवसाय योजना के आधार पर तैयार किया जाएगा;

c) आयोग द्वारा विशिष्ट मानकों के लिए एक प्रक्षेप पथ निर्धारित किया जाएगा, जिससे प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन में सुधार हो सके;

d) प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना में की जाएगी तथा प्रदर्शन में हुए अंतर को नियंत्रित करने योग्य और अनियंत्रित करने योग्य तत्वों में वर्गीकृत किया जाएगा; और

e) नियंत्रित और अनियंत्रित तत्वों के कारण हुए अनुमोदित लाभ या हानि को साझा करने का एक तंत्र लागू किया जाएगा।

आधारभूत रेखा का निर्धारण

6.3 नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष केलिए मान वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उपलब्ध लेखा परीक्षित खातों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।यदि किसी वर्ष के लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो आयोग विवेकपूर्ण जांच के बाद और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उस वर्ष केलिए सर्वोत्तम अनुमान पर विचार कर सकता है।

6.4 आमतौर पर, आयोग नियंत्रणअवधि के दौरान प्रदर्शन लक्ष्यों को संशोधित नहीं करेगा, जब तक कि आयोग के विचार में स्वीकृत संख्याओं और वास्तविक आंकड़ों में कोई बड़ा भेद न हो।

खुदरा आपूर्ति और व्हीलिंग व्यवसाय का पृथक्करण

6.5 लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के खातों को व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय में पृथक करेगा।

6.6 व्हीलिंग व्यवसाय के लिए अनुमानित राजस्व आवश्यकता (ARR) का उपयोग व्हीलिंग टैरिफ निर्धारित करने हेतु किया जाएगा, तथा खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए ARR का उपयोग खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने हेतु किया जाएगा।

6.7 जब तक खातों का पृथक्करण नहीं किया जाता उस अवधि के लिए लाइसेंसधारी एक आबंटन विवरण तैयार करेगा, जिसके माध्यम से लागतों और राजस्वों को संबंधित व्यवसायों में विभाजित किया जाएगा। लाइसेंसधारी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित यह आबंटन विवरण पृथक्करण के लिए उपयोग किए गए आधार और कार्यप्रणाली के स्पष्टीकरण के साथ संलग्न होगा, जो नियंत्रण अवधि के दौरान समान रूप से लागू रहनी चाहिए।

6.8 यदि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आबंटन के लिए स्पष्ट और तर्कसंगत कार्यप्रणाली प्रस्तुत नहीं की जाती, तो आयोग पिछले नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित पृथक्करण के अनुसार विचार कर सकता है या यह निर्णय ले सकता है कि ऐसे आबंटन को किस प्रकार किया जा सकता है।:

विवरण	आपूर्ति व्यवसाय का हिस्सा	वायर व्यवसाय काहिस्सा
संचालन एवं अनुरक्षणलागत		
कर्मचारी लागत	*40%*	*60%*
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	*50%*	*50%*
मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत	*10%*	*90%*
विद्युत क्रय (पीजीसीआई एल एवंआर एल डी सी शुल्कसहित)	100%	0%
सुरक्षा जमा पर ब्याज	100%	0%
ब्याज लागत	10%	90%
कार्यशील पूंजी परब्याज	90%	10%
आय पर कर	10%	90%
मूल्यह्रास	10%	90%
इक्विटी पर प्रतिफल	10%	90%
घटाएँ: गैर-टैरिफ / अन्यआय	90%	10%

व्यवसाय योजना

6.9 प्रत्येक लाइसेंसधारी को आयोग की स्वीकृति केलिए एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनीहोगी, जिसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जैसाकि इन विनियमों की **धारा A** 24 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार हो

6.10 व्यवसाय योजना खुदरा आपूर्ति एवं व्हीलिंग व्यवसाय के लिए पृथक रूप से दायर की जाएगी। इन विनियमों के **खंड 6.7** में निर्दिष्ट अनुसार, यदि दोनों व्यवसायों के लिए अलग-अलग लेखे उपलब्ध नहीं हैं तो लाइसेंसी को एक आबंटन विवरण तैयार कर उसे व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6.11 व्यवसाय योजना पूरे नियंत्रण अवधि के लिए होगी और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) पूरे नियंत्रण अवधि के लिए एक **पूंजी निवेश योजना**, जो भार वृद्धि, वितरण हानि में कमी की प्रगति तथा गुणवत्ता सुधार उपायों के अनुरूप हो, जिन्हें व्यवसाय योजना में प्रस्तावित किया गया है। पूंजी निवेश योजना में संबंधित पूंजीकरण अनुसूची और वित्त योजना भी सम्मिलित होंगी;
वितरण लाइसेंसी को योजना-वार पूंजी संरचना और वित्तपोषण लागत (ऋण पर ब्याज), इक्विटी पर प्रतिफल, अनुदान, जमा कार्य (Deposit Works) तथा विद्यमान ऋण समझौतों की शर्तों आदि का विवरण भी पूंजी निवेश योजना का हिस्सा बनाते हुए प्रस्तुत करना होगा;

b) नियंत्रणअवधिकेप्रत्येकवर्षकेलिएप्रत्येकउपभोक्ताश्रेणीऔरउप-श्रेणियोंकेलिए**बिक्री/मांगकापूर्वानुमान**;

c) **शक्ति क्रय योजना**, जो बिक्री पूर्वानुमान और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण हानि प्रगति पर आधारित होगी। शक्ति क्रय योजना में ऊर्जा दक्षता, RPO (नवीकरणीय खरीद दायित्व) की पूर्ति तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपाय भी सम्मिलित होंगे;

d) अन्य नियंत्रण योग्य मदों जैसे **वितरण हानियां, संग्रहण दक्षता, कार्यशील पूंजी आवश्यकता, आपूर्ति की गुणवत्ता संबंधी लक्ष्य** (जैसे SAIFI, SAIDI और MAIFI, झारखंडराज्यविद्युतविनियामकआयोग (वितरण लाइसेंसियों के प्रदर्शन मानक) विनियम, 2015 तथा उसके उपरांत संशोधनों के अनुसार) आदि के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों का एक सेट। ये लक्ष्य लाइसेंसी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप होंगे।

e) **मानव संसाधन योजना**, जिसमें मानवशक्ति योजना सहित नियंत्रण अवधि के दौरान मांग/उपभोक्ताओं की वृद्धि को पूरा करने हेतु अनुमानित वार्षिक मानवशक्ति वृद्धि और सेवानिवृत्ति का विवरण सम्मिलित हो;

f) गैर-शुल्क आयके लिए मदवार विवरण और जानकारी सहित प्रस्ताव;

g) अन्य व्यवसाय से होने वाली आय के संबंध में प्रस्ताव;
व्यवसाय योजना में पिछली नियंत्रण अवधि से संबंधित आवश्यक जानकारी भी सम्मिलित होगी:

पूर्व नियंत्रण अवधि केलिए आवश्यक सूचना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार योजना-वार पूंजी निवेश, वितरण हानि की प्रगति, गुणवत्ता सुधारकेउपाय, उपभोक्ता वर्ग-वार संख्या, जोड़ी गई लोड और बिक्री, स्रोत-वार विद्युत क्रय मात्रा एवं लागत, कर्मचारी, रखरखाव एवं प्रशासनिक व्यय सहित विस्तृत विवरण, और नियंत्रण अवधि के दौरान विभिन्न प्रदर्शन मानकों और अन्य घटकों के पूर्वानुमान बनाने केलिए उपयोग की गई अन्यसूचनाएँ शामिल होंगी।यदि कोई नया लाइसेंसधारी है, तो उसे नियंत्रण अवधि के आरंभ तक के संचालन काल केलिए ऐसी सभी सूचनाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

पूंजी निवेश योजना

6.12 लाइसेंसी पूरी नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना आयोग की स्वीकृति हेतु व्यवसाय योजना के साथ दायर करेगा। पूंजी निवेश योजना, योजना-वार तैयार की जाएगी और प्रत्येक योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) निवेश का उद्देश्य (जैसे मौजूदा परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, भार वृद्धि को पूरा करना, तकनीकी और वितरण हानि में कमी, गैर-तकनीकी हानि में कमी, अभिक्रियाशील ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, उपभोक्ता सेवा सुधार, आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आदि);

b) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति;

c) पूंजी संरचना;

d) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन;

e) पूंजीकरणअनुसूची;

f) समय-सीमा सहित कार्यान्वयन अनुसूची;

g) लागत-लाभ विश्लेषण और दर की यथोचितता;

h) नियंत्रण अवधि में कल्पित परिचालन दक्षता में सुधार;

i) जारी योजनाएँ जो समीक्षा वर्ष में आगे बढ़ेंगी, साथ ही उसका औचित्य;

j) नई योजनाएँ जो नियंत्रण अवधि के दौरान प्रारम्भ होंगी, परन्तु नियंत्रण अवधि के भीतर अथवा उससे आगे पूर्ण हो सकती हैं।

6.13 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) के दौरान, आयोग लाइसेंसधारी के वास्तविक पूँजीगत व्यय की वर्ष-वार प्रगति को अनुमोदित पूँजीगत व्यय की तुलना में निगरानी करेगा। लाइसेंसधारी को वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा आवेदन के साथ वास्तविक पूँजीगत व्यय प्रस्तुत करना होगा।

6.14 आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक पूँजीकरण की समीक्षा करेगा और उसे अनुमोदित पूँजीकरण अनुसूची से मिलाएगा तथा उस वर्ष के लिए, जिसके लिए याचिकाकृत सत्यापन (True up) किया गया है, वास्तविक पूँजीकरण के आधार पर ए.आर.आर. (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) का समायोजन करेगा और उस वर्ष के लिए ए.आर.आर. घटकों में संशोधन करेगा, जिसके लिए ए.पी.आर. (वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा) और शुल्क की मांग की गई है।

6.15 यदि आपातकालीन कार्य के लिए पूँजीगत व्यय की आवश्यकता हो, जो पूँजी निवेश योजना में अनुमोदित नहीं है, तो लाइसेंसधारी को प्रस्तावित कार्य की आपातकालीन प्रकृति को उचित ठहराने वाले कारणों सहित सभी प्रासंगिक जानकारी के साथ एक आवेदन आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा, जहाँ भी संभव हो:

यह उपबंधित है कि यदि जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरे को कम करने हेतु या अप्रत्याशित स्थिति में आपातकालीन कार्य के लिए पूँजीगत व्यय की आवश्यकता हो और आयोग को पूर्व सूचना देने से अपरिवर्तनीय हानि या क्षति की आशंका हो, तो लाइसेंसधारी ऐसा पूँजीगत व्यय कर सकेगा और तदनंतर सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ अगली शुल्क याचिका (Tariff Petition) में आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

बिक्री/मांग पूर्वानुमान

6.16 लाइसेंसधारी, अपने व्यवसाय योजना दाखिल करने में, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी, उप-श्रेणी तथा प्रत्येक शुल्क प्रावधान (Tariff slab) और विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर बिक्री का पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा। यह पूर्वानुमान हालिया प्रवृत्तियों एवं ऐतिहासिक वृद्धि के आधार पर होगा और आयोग की समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए आवश्यक विवरणों – जैसे श्रेणीवार और वोल्टेज-वार बिक्री, संविदात्मक भार, उपभोक्ताओं की संख्या आदि – के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

6.17 आयोग, उपभोक्ताओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि, उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, मौसमी प्रभाव, लक्षित वितरण हानियाँ, पूर्ववर्ती वर्षों में विद्युत की मांग तथा आगामी वर्ष में अनुमानित वृद्धि और आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे गए अन्य किसी भी कारक के आधार पर पूर्वानुमानों की यथोचितता और सुसंगति की जाँच करेगा, और तदनुसार प्रत्येक नियंत्रण अवधि के वर्ष हेतु बिक्री पूर्वानुमान को उपयुक्त संशोधनों सहित अनुमोदित करेगा।

6.18 यदि विद्युत का विक्रय विद्युत व्यापारियों अथवा किसी अन्य लाइसेंसधारी को किया जाता है, तो उसे पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

6.19 लाइसेंसधारी श्रेणीवार खुले अभिगम (Open Access) उपभोक्ताओं तथा उनकी बिक्री को भी इंगित करेगा। उनके लिए प्रवाहित की गई ऊर्जा को अलग-अलग निम्नानुसार दर्शाया जाएगा:

a) उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर आपूर्ति; और

b) उसके आपूर्ति क्षेत्र के बाहर आपूर्ति।

विद्युत क्रय दिशानिर्देश

6.20 वितरण लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के लिए विद्युत क्रय योजना के अनुसार, वर्ष के दौरान अपना विद्युत क्रय करेगा, जिसमें दीर्घकालीन, मध्यमकालीन तथा अल्पकालीन विद्युत क्रय सम्मिलित हो सकता है, जिसे इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

6.21 वितरण लाइसेंसधारी इस भाग में निहित दिशानिर्देशों का पालन करेगा जो निम्नलिखित से संबंधित होंगे:

a) किसी ऐसे प्रबंध या अनुबंध के अंतर्गत विद्युत क्रय, जिसकी अवधि बारह (12) वर्ष से अधिक और पच्चीस(25) वर्ष तक हो (अर्थात् दीर्घकालीन विद्युत क्रय);

b) किसी ऐसे प्रबंध या अनुबंध के अंतर्गत विद्युत क्रय, जिसकी अवधि तीन (3) माह से अधिक किन्तु तीन (3) वर्ष से अधिक न हो (अर्थात् मध्यमकालीन विद्युत क्रय);और

c) किसी ऐसे प्रबंध या अनुबंध के अंतर्गत विद्युत क्रय, जिसकी अवधि एक (1) माह से कम अथवा एक (1) माह तक हो (अर्थात् अल्पकालीन विद्युत क्रय)।

विद्युत क्रय योजना

6.22 वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत मांग को पूरा करने हेतु विद्युत क्रय की एक योजना तैयार करेगा और उक्त योजना अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत करेगा:

इस बात का प्रावधान है कि ऐसी विद्युत क्रय योजना नियंत्रण अवधि केलिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक प्रस्तुत की जाएगी:

यह भी उपबंधित है कि व्यवसाय योजना का अंग होने के रूप में प्रस्तावित विद्युत क्रय योजना को, शुल्क निर्धारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:

यह भी उपबंधित है कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत विद्युत क्रय योजना में, इन विनियमों के अनुसार दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन स्रोतों से क्रय सम्मिलित हो सकता है। तथापि, वितरण लाइसेंसधारी यथासंभव अल्पकालीन क्रय की योजना न बनाए, अपवाद स्वरूप केवल विनियमन

की धारा 6.31 से धारा 6.36 में निर्दिष्ट परिस्थितियों हेतु और अपनी आवश्यकताओं को दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन विद्युत क्रय से पूरा करने का प्रयास करे तथा उसी के अनुरूप योजना बनाए।

6.23 वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत क्रय योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे::

a) नियंत्रण अवधि के दौरान अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर प्रत्येक शुल्क श्रेणी के लिए अप्रतिबंधित विद्युत मांग का मात्रात्मक पूर्वानुमान;

b) चिन्हितउत्पादनस्रोतोंएवंविद्युतक्रयसेहोनेवालीविद्युतआपूर्तिकीअनुमानितमात्रा ;

c) आधार भार (Base Load) और शिखर भार (Peak Load) की मांग को पूरा करने हेतु विद्युत उपलब्धता का अनुमान:

यह उपबंधित है कि ऐसे अनुमान मांग और आपूर्ति का मासिक आकलन होंगे तथा उन्हें मेगावाट (MW) एवं मिलियन यूनिट्स (MU) दोनों में अभिव्यक्त किया जाएगा;

d) झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन मानक) विनियम, 2015 के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से संबंधित मानकों को बनाए रखना अनिवार्य है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता रहता है;

e) ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के संबंध में लागू की जाने वाली प्रस्तावित उपाय योजना;

f) नए विद्युत उत्पादन स्रोतों और/या क्रय की आवश्यकता, जिसमें उत्पादन क्षमता का संवर्धन और (क) से (ङ) तक के आधार पर पहचाने गए नए आपूर्ति स्रोत सम्मिलित हों;

g) विद्युत क्रय की योजना, जिसमें ऐसी खरीद की मात्रा और लागत का अनुमान सम्मिलित हो::

यह उपबंधित है कि दीर्घकालीन विद्युत क्रय योजना में निहित पूर्वानुमान/अनुमान को शिखर और अशिखर अवधियों (peak and off-peak periods) के लिए पृथक रूप से दर्शाया जाएगा, जिसमें क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा (मिलियन यूनिट्स - MU) और अधिकतम मांग (मेगावाट - MW / मेगावोल्ट एम्पीयर - MVA) अभिव्यक्त की जाएगी:

यह भी उपबंधित है कि नियंत्रण अवधि के प्रत्येक माह हेतु ऐसे पूर्वानुमान/अनुमान तैयार किए जाएंगे:

यह भी उपबंधित है कि दीर्घकालीन विद्युत क्रय योजना उपलब्ध स्रोतों की लागत संबंधी जानकारी के आधार पर एक किफायती योजना होगी।

6.24 पूर्वानुमान/अनुमान अतीत के आंकड़ों एवं भविष्य के बारे में यथोचित मान्यताओं पर आधारित पूर्वानुमान तकनीकों का प्रयोग करके तैयार किए जाएंगे:

यह अनुमान/पूर्वानुमान उन कारकों को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा, जिनमें समग्र आर्थिक विकास,विद्युत-गहन क्षेत्रों की खपत वृद्धि, विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का आगमन, कैप्टिव पावर के रुझान, हानि कम करने की पहलों का प्रभाव, पवन स्टेशन प्लांट लोड फैक्टर में सुधार और अन्य संबंधित कारक शामिल हों।

संबंधित लाइसेंसधारी आवेदन-आधारित प्रणाली को लागू करने का प्रयास करेगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और मशीन लर्निंग (Machine Learning)जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया जाएगा।आयोग को तकनीकी ढांचा, संचालन के तरीके,

लागत-लाभ विश्लेषण और कार्यान्वयन समय-सीमा सहित एक विस्तृत व्यव हार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह उपकरण विद्युत खरीद के प्रमुख प्रदर्शन संकेत कों का अनुकूलन करेगा, जिनमें विद्युत खरीद की कुल लागत में कमी, डिविएशन सेटलमेंट मेकानिज्म (Deviation Settlement Mechanism) शुल्क में कमी, द्विपक्षीय और पावर एक्सचेंज लेन-देन का अनुकूलन, और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार शामिल हैं। इससे विद्युत खरीद का प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा, लागत में बचत होगी और वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

6.25 जहाँआयोगनेकिसीवितरणलाइसेंसधारीकेक्षेत्रमेंकुलविद्युतखपतकाकोईप्रतिशतसह-उत्पादन/नवीकरणीयऊर्जास्रोतोंसेखरीदनेकेलिएनिर्धारितकियाहो, वहाँउसवितरणलाइसेंसधारीकीविद्युतखरीदयोजनामेंऐसेस्रोतोंसेनिर्धरितस्तरतककीखरीदकीयोजनाशामिलहोगी।

6.26 वितरण लाइसेंसधारी को अपनी विद्युत क्रय योजना की एक प्रति राज्य प्रसारण उपयोगिता (State Transmission Utility) को अग्रेषित करना अपेक्षित होगा ताकि उसकी राज्यांतर्गत संक्रमण तंत्र योजना के साथ सुसंगति का सत्यापन किया जा सके:
यह उपबंधित है कि वितरण लाइसेंसधारी विद्युत क्रय योजना तैयार करते समय राज्य प्रसारण उपयोगिता से परामर्श भी कर सकता है ताकि ऐसी योजना का संक्रमण तंत्र योजना के साथ सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।

6.27 वितरण लाइसेंस धारी, विद्युत खरीद योजना प्रस्तुत करते समय यदि ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है जो पहले ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, तो वह नियंत्रण अवधि के शेष समय केलिए विद्युत खरीद योजना में संशोधन केलिए आवेदित कर सकता है, और यह संशोधन वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के आवेदन के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

6.28 यदि विद्युत क्रय योजना प्रस्तुत करते समय आयोग को कोई जानकारी उपलब्ध न थी अथवा ज्ञात न थी और बाद में ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है, तो आयोग यदि उचित समझे तो वह स्वतः संज्ञान के आधार पर अथवा किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के अंग के रूप में वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत क्रय योजना को शेष नियंत्रण अवधि के लिए संशोधित कर सकता है।

विद्युत क्रय अनुबंध/व्यवस्था की स्वीकृति

6.29 प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था, जिसके तहत कोई वितरण लाइसेंसधारी किसी उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी, अथवा किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से विद्युत क्रय करता है, केवल आयोग की पूर्व स्वीकृति से ही प्रभावी होगी:
यह उपबंधित है कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से स्टैंडबाय आधार पर विद्युत क्रय के लिए किए जाने वाले किसी भी अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में आयोग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी:
यह भी उपबंधित है कि विद्युत क्रय हेतु किसी मौजूदा अनुबंध या व्यवस्था में किए गए किसी भी परिवर्तन पर आयोग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, चाहे ऐसा मौजूदा अनुबंध या व्यवस्था आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो या न किया गया हो।

6.30 आयोग, वितरण लाइसेंसधारी की अनुमोदित विद्युत क्रय योजना और निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्रय अनुबंध/व्यवस्था की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किसी आवेदन की समीक्षा करेगा:

a) अनुमोदित विद्युत क्रय योजना के अंतर्गत विद्युत क्रय की आवश्यकता;

b) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन;
जहाँ उपबंध (ख) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया हो वहाँ इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण की शर्तों एवं नियमों का पालन;

c) इस प्रकार की अनुबंध/व्यवस्था के अंतर्गत खरीदी गई विद्युत की निकासी और आपूर्ति हेतु राज्यांतर्गत संक्रमण तंत्र में उपलब्ध (या प्रत्याशित रूप से उपलब्ध) क्षमता;

d) सह-उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता।

अतिरिक्त अल्पकालीन विद्युत क्रय

6.31 इस विनियम के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि केलिए आयोग द्वारा स्वीकृत विद्युत खरीद योजना से ऊपर और उससे अलग, वर्ष के दौरान अतिरिक्त अल्पकालिक विद्युत खरीद कर सकता है।

6.32 यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अनुमोदित आपूर्ति स्रोत से विद्युत आपूर्ति में कमी या विफलता होती है, तो वितरण लाइसेंसधारी अतिरिक्त अल्पकालीन व्यवस्था अथवा अनुबंध के अंतर्गत विद्युत क्रय कर सकता है:

यह उपबंधित है कि यदि किसी छह माह की अवधि में (ऐसे अल्पकालीन विद्युत क्रय सहित)कुलविद्युत क्रय लागत या मात्रा, आयोग द्वारा उस छह माह की अवधि के लिए अनुमोदित विद्युत क्रय लागत या मात्रा से दसप्रतिशत(10%)से अधिक हो जाती है, तो वितरण लाइसेंसधारी को आयोग से पश्चात्अनुमोदनप्राप्त करनी होगी।

6.33 जहाँ वितरण लाइसेंसधारी ने किसी नए अल्पकालीन आपूर्ति स्रोत की पहचान की है, जिससे स्वीकृत कुल विद्युत क्रय लागत में कमी लाने वाले शुल्क पर विद्युत क्रय किया जा सकता है, वहाँ वितरण लाइसेंसधारी आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ अल्पकालीन विद्युत क्रय अनुबंध या व्यवस्था कर सकता है।

6.34 वितरण लाइसेंसधारी आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने पर, जो वितरण प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित करती हों, अथवा ग्रिड विफलता (Grid Failure) को रोकने के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Despatch Centre) द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना अल्पकालीन विद्युत क्रय अनुबंध या व्यवस्था कर सकता है अथवा विद्युत एक्सचेंजों से विद्युत क्रय कर सकता है।

6.35 पंद्रह (15) दिनोंकेभीतर, जब भी कोई समझौता या व्यवस्था की जाती है जिसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, वितरण लाइसेंसधारी को ऐसी समझौता या व्यवस्था के पूर्ण विवरण आयोग को प्रदान करने होंगे, जिसमें मात्रा, टैरिफ गणना, अवधि, आपूर्तिकर्ता विवरण, आपूर्तिकर्ता चयन की विधि और आयोग द्वारा मांगी गई अन्य जानकारियाँ शामिल होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस विनियमन में निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया है:

यह उपबंधित है कि जहाँ आयोग को यह विश्वास करने के लिए यथोचित आधार हो कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया गया अनुबंध या व्यवस्था **धारा 6.32** से धारा **6.34** में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करता है वहाँ आयोग, स्वीकृत स्तर से ऊपर उत्पन्न होने वाली कुल विद्युत क्रय लागत (अतिरिक्त राजस्व घटाकर) में किसी भी वृद्धि या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा हुई किसी भी हानि को उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देगा।

6.36 **धारा 6.32** से धारा **6.34** में निर्दिष्ट मामलों के अधीन रहते हुए, जहाँ वितरण लाइसेंसधारी आयोग की स्वीकृति के बिना किसी भी अल्पकालीन विद्युत क्रय अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करता है, वहाँ स्वीकृत स्तर से ऊपर उत्पन्न होने वाली कुल विद्युत क्रय लागत (अतिरिक्त राजस्व घटाकर) में किसी भी वृद्धि को पूर्णतः नियंत्रित कारकों के कारण मानी जाने वाली प्रदर्शन की भिन्नता समझा जाएगा।

6.37 इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारी किसी भी अधिशेष विद्युत को खुले बाजार में बेच भी सकता है, बशर्ते कि ऐसी विद्युत की विक्रय से प्राप्त शुल्क उस विद्युत की परिवर्ती लागत से अधिक हो।

वितरण हानि और संग्रह दक्षता केलिए लक्ष्य

6.38 लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि की संपूर्ण अवधि हेतु वितरण हानि प्रक्षेप-पथ को व्यवसाय योजना में, प्रत्येक वर्ष की पूँजी निवेश योजना के अनुरूप, आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।

6.39 विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा शुल्क अवधि (Tariff Period) के दौरान प्राप्त किए जाने वाले

न्यूनतम संग्रहण दक्षता लक्ष्यों का विवरण निम्नलिखित होगा:

CollectionEfficiencyTargets					
Utility	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
JBVNL	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%
TSUISL	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%
SAIL-Bokaro	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%
TSL	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%
DVC	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%

यह उपबंधित है कि यदि वास्तविक संग्रहण दक्षता लक्ष्य से अधिक है, तो शुल्क निर्धारण प्रयोजनों हेतु वास्तविक संग्रहण दक्षता पर विचार किया जाएगा।

विद्युत आपूर्ति और सेवाओं की गुणवत्ता

6.40 आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता सेवा मानकों की निगरानी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी।लाइसेंसधारी, जेएसईआरसी (वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन मानक) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट सभी गुणवत्ता मानकों के लिए आधाररेखा (Baseline) और प्रदर्शन प्रक्षेप-पथ (Performance Trajectory) प्रस्तावित करेंगे, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं तथा उन विनियमों में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार होंगे।

6.41 नियंत्रण अवधि हेतु प्रस्तावित आधाररेखा और प्रदर्शन प्रक्षेप-पथ को व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

6.42 आयोग आधार रेखा डेटा की विश्वसनीयता का आकलन करेगा और नियंत्रण अवधि केलिए प्रत्येक पहचाने गए पैरामीटर के प्रदर्शन प्रक्षेप पथ को निर्धारित कर सकता है। इस संबंध में परिचालन, तकनीकी, वित्तीय और प्रदर्शन मानकों केलिए एक बेंचमार्किंग अध्ययन किया जाएगा, जिसमें विद्युत क्षेत्र के प्रचलित बाजार गतिशीलता और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस बेंचमार्किंग अभ्यास की विस्तृत रिपोर्ट इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से छह महीनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।और इसके बदले मे, आयोग संबंधित उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तुत बेंचमार्क अध्ययन की रिपोर्ट का समुचित मूल्यांकन कर के, इस क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को स्वतंत्र रूप से नियुक्त कर विद्युत क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने की पहल कर सकता है।

6.43 लाइसेंसधारियों को आपूर्ति और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन ढाँचा, झारखंडराज्यविद्युतविनियामकआयोग (वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन मानक) विनियम, 2015, समय-समय पर संशोधित अनुसार होगा।

ए.आर.आर. के नियंत्रित और अकारणीय तत्व

6.44 इन विनियमों में निहित एम.वाई.टी. (MYT) ढाँचे के प्रयोजन हेतु, ए.आर.आर. (ARR) के तत्वों की पहचान "नियंत्रित" और "अनियंत्रित" के रूप में की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित है:

ए.आर.आर. तत्व (ARR Element)	**नियंत्रणीय / अनियंत्रणीय (Controllable / Uncontrollable)**
बिक्री में परिवर्तन	अनियंत्रणीय
विद्युत क्रय लागत (अल्पकालिक विद्युत को छोड़कर)	अनियंत्रणीय
अल्पकालिक विद्युत क्रय लागत	नियंत्रणीय (सीलिंगमूल्य)
प्रसारण एवं लोड प्रेषण शुल्क	अनियंत्रणीय

संचालन एवं अनुरक्षण व्यय (कर्मचारियों की टर्मिनल देनदारियों को छोड़कर)	नियंत्रणीय
कर्मचारियों की टर्मिनल देनदारियाँ	अनियंत्रणीय
इक्विटी पर प्रतिफल	नियंत्रणीय
ऋण पर ब्याज	नियंत्रणीय
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	नियंत्रणीय
मूल्यह्रास	नियंत्रणीय
आयपरकर	अनियंत्रणीय
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन	अनियंत्रणीय
गैर-टैरिफआय	अनियंत्रणीय
अन्य व्यवसायों से आय	अनियंत्रणीय
उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज	अनियंत्रणीय
वितरण हानि एवं संग्रह दक्षता	नियंत्रणीय
आपूर्ति की गुणवत्ता	नियंत्रणीय
पूंजीगत व्यय	नियंत्रणीय
पूंजीकरण	नियंत्रणीय
तारउ पलब्धता एवं आपूर्ति उपलब्धता में परिवर्तन	नियंत्रणीय

6.45 अनियंत्रित तत्वों के कारण होने वाले अंतर को उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने योग्य (Pass-through) व्यय के रूप में माना जाएगा, जो आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जाँच और अनुमोदन के अधीन होगा।

6.46 आयोग, नियंत्रिततत्वों में परिवर्तन को भी एआर.आर. (ARR) में समायोजित करने की अनुमति देगा, यदि वह विधि में परिवर्तनया दैवी आपदाघटनाओं(Force Meure) के कारण हुआ हो। यह अनुमत परिवर्तन अगले वर्ष हेतु होगा, जो लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों तथा आयोग द्वारा सत्यापन और अनुमोदन पर आधारित होगा।.

6.47 आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों से नियंत्रित तत्वों केकारण होने वाले अंतर को प्रोत्साहन एवं दंड ढाँचे (Incentive and Penalty Framework) के अधीन माना जाएगा, जैसा कि आगामी अनुभाग में विस्तार से बताया गया है।

प्रोत्साहन एवं दंड ढाँचा

6.48 लाइसेंसधारी की समेकित राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement - ARR) के विभिन्न तत्वों को एक प्रोत्साहन और दंड ढांचे के अधीन रखा जाएगा, जैसा कि इस अनुभाग में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार है।इसका प्रधान उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना और कम प्रदर्शन पर दंड लगाना है, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रदर्शन मानकों/बेंचमार्क परआधारित होगा।

6.49 लाभ या हानि का आंकलन संचालित वस्तुओं केलिए सामूहिक रूप से वार्षिक आधार पर किया जाएगा, जिनमें संचालन और रख रखाव व्यय (टर्मिनल देनदारियों को छोड़कर), वितरण हानि, और संग्रह दक्षता शामिल हैं।ये गणनाएं वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा में लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर की जाएंगी, और आयोग द्वारा सावधानी पूर्वक जांच के अधीन होंगी।

6.50 यदि समग्र लाभ होता है, तो वह लाभ लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के बीच क्रमशःपचास:पचास(50:50) के अनुपात में बाँटा जाएगा।

6.51 बाँटे जाने योग्य लाभ, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा में शुल्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किए जाएंगे।

6.52 यदि नियंत्रित मानकों के संबंध में अपेक्षित से कम प्रदर्शन के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की हानि होती है, तो ऐसी संपूर्ण हानि का वहन स्वयं लाइसेंसधारी करेगा और उसका कोई भी भाग उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।

6.53 इसके अतिरिक्त, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऋणों के पुनर्वित्त से हुई शुद्ध बचत, उपयोक्ताओं और लाइसेंसधारी के बीच क्रमशः 50:50के अनुपात में बाँटी जाएगी।

A7.ट्रूइंग-अप

7.1 लाइसेंसधारी को ट्रूइंग-अप के लिए आवेदन के साथ श्रेणी-वार एवं वोल्टेज-वार बिक्री, अनुबंधित माँग और उपभोक्ताओं की संख्या, स्रोत-वार विद्युत खरीद की मात्रा और लागत, पूंजीगत व्यय का विवरण, अतिरिक्त पूंजीकरण, वित्तपोषण के स्रोत, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो तथा उस पर चुकाए गए ब्याज के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए ए.आर.आर. (ARR) के अन्य घटक, **धारा ए 24** में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार वार्षिक ऑडिटेड खातों के आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

7.2 जहां ट्रूइंग-अप के बाद, इस विनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रूड-अप मूल्य से वसूल की गई राजस्व राशि अधिक होती है, वहां अतिरिक्त राशि का व्यवहार इन विनियमों के **उपखंड 7.4**में निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

7.3 जहां ट्रूइंग-अप के बाद, इस विनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रूड-अप मूल्य से वसूल की गई राजस्व राशि कम होती है, वहां कमी की राशि का व्यवहार इन विनियमों के **उपखंड 7.4**में निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

7.4 जो राशि कम-वसूली या अधिक-वसूली हुई हो, उस पर साधारण ब्याज (जो संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर हो तथा उस पर दोसौ (200)बेसिस अंक जोड़े जाएँ) सहित, आगामी वर्षों के लिए अनुमोदित शुल्क में अग्रेषित की जाएगी:

यह प्रावधान होगा कि यदि लाइसेंसधारी **धारा 24** में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार याचिकाएँ प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो अप्राप्त अंतर पर विलंब अवधि हेतु कोई कैरिंग कॉस्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी:

यह प्रावधान भी होगा कि यदि ऐसा अंतर अधिक हो और इसे केवल एक ही वर्ष में वसूलना संभव न हो, तो आयोग इस पर विचार कर सकता है कि 2016 की शुल्क नीति के खंड 8.2.2 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक रेगुलेटरीएसेट का निर्माण किया जाए.

यह प्रावधान भी होगा कि यदि किसी अनियंत्रणीय मदों में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का कारण लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार की चूक हो, तो इसे ट्रूइंग-अप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.5 आयोग, शुल्क की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित नियंत्रण अवधि के वर्ष के अगले वर्ष में शामिल करने के बजाय, ट्रू-अप लागत को आगामी नियंत्रण अवधि के ए.आर.आर. में शामिल कर सकता है।

A8.वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा

8.1 लाइसेंसधारी को वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा हेतु आवेदन के साथ श्रेणी-वार एवं वोल्टेज-वार बिक्री, अनुबंधित माँग और उपभोक्ताओं की संख्या, स्रोत-वार विद्युत खरीद की मात्रा और लागत, पूंजीगत व्यय का विवरण, अतिरिक्त पूंजीकरण, वित्तपोषण के स्रोत, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो तथा उस पर चुकाए गए ब्याज के साथ-साथ समीक्षा वर्ष के लिए हुई/अनुमानित ए.आर.आर. की अन्य मदें, **धारा 24**में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।.

8.2 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा याचिका के साथ, लाइसेंसधारी को तत्समय पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों के ट्रूइंग-अप तथा वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर अगले वर्ष के लिए संशोधित ए.आर.आर. का दावा भी करना होगा।.

8.3 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का दायरा, अनुमोदित व्ययों की तुलना संशोधित अनुमानों से करना होगा तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

a) नवीनतम वास्तविक डेटा के आधार पर, अनुमोदित पूंजीगत व्यय और

पूंजीकरण की तुलना लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों से की जाएगी;

b) आयोग द्वारा अनुमोदित आवश्यक बिक्री को पूरा करने केलिए बिक्री और विद्युत खरीद की तुलना हाल ही में उपलब्ध नवीनतम वास्तविक डेटा के आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के साथ कीजाएगी;

c) आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य व्ययों जैसे कि ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, इक्विटी पर रिटर्न, मूल्यह्रास और संचालन एवं मेंटेनेंस व्यय की तुलना नवीनतम वास्तविक डेटा के आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के साथ की जाएगी;

d) पूर्ववर्ती वर्ष के नियंत्रणीय कारकों के कारण हुए लाभ और हानि के बँटवारे की गणना;

e) अनुमोदित राजस्व बनाम नवीनतम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित संशोधित अनुमान।

f) कोई अन्य व्यय/राजस्व जो ए.आर.आर. को प्रभावित करते हों।

8.4 वितरण लाइसेंसधारी, यदि उन्हें ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है जो पूर्व मेंज्ञातयाउपलब्धनहींथी जब पूर्वानुमान तैयार किया गया था, तो वे नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए अनुमोदित ए.आर.आर. एवं अपेक्षित राजस्व (शुल्क और दरों से) के पूर्वानुमान में संशोधन हेतु वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के हिस्से के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

8.5 यदि आयोग को, ऐसी अतिरिक्त जानकारी के परिणामस्वरूप जो पूर्व में ज्ञात अथवा उपलब्ध नहीं थी जब पूर्वानुमान तैयार किया गया था, यह प्रतीत होता है कि इससे उल्लेखनीय अधिक/कम वसूली हो सकती है, तो आयोग स्वतःज्ञान से अथवा किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, अनुमोदित ए.आर.आर. एवं शुल्क और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के पूर्वानुमान को नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए, वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के हिस्से के रूप में संशोधित कर सकता है।

8.6 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और ट्रूइंग-अप के विश्लेषण के आधार पर, आयोग नियंत्रण अवधि के आगामीवर्ष हेतु ए.आर.आर. और शुल्क में संशोधन कर सकता है।

अध्याय III: वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का निर्धारण

A9.ट्रू-अप, एपीआर और एआरआर एवं शुल्क निर्धारण का विवरण

9.1 वितरण लाइसेंसधारी को पिछले वर्ष के लिए ट्रू-अप का विवरण, वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शनसमीक्षा तथा आगामी वर्ष के लिए शुल्क निर्धारण का विवरण, निम्नलिखित धाराओं में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

A10.वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) निर्धारण के सिद्धांत

नियंत्रण अवधि के दौरान व्हीलिंग व्यवसाय हेतु एआरआर की गणना

10.1 लाइसेंसधारियोंकेव्हीलिंगव्यवसायहेतुप्रत्येकवर्षकीवार्षिकराजस्वआवश्यकता (ARR) मेंनिम्नलिखितमदेंशामिलहोंगी:

a) संचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

b) इक्विटी पर प्रतिफल;

c) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

d) ऋणों पर ब्याज;

e) मूल्यह्रास;

f) आयकर;

g) लीज़ शुल्क;

h) विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव;

i) घटाएं: गैर-टैरिफआय;

j) घटाएं: अन्यव्यवसायसेआय; और

k) घटाएं: विद्युतव्हीलिंगसेआय (**धारा 10.50 देखें**)

नियंत्रण अवधि के दौरान खुदरा आपूर्ति व्यवसाय केलिए समेकित राजस्व आवश्यकता (ARR) की गणना

10.2 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष केलिए लाइसेंसधारियों के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की समेकित राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) में निम्नांकित आइटम शामिल होंगे:

a) प्रसारण एवं लोड प्रेषण शुल्क;

b) संक्रमणएवंलोडडिस्पैचशुल्क;

c) संचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

d) इक्विटी पर प्रतिफल;

e) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

f) ऋणों पर ब्याज;

g) उपभोक्तासुरक्षाजमापरब्याज;

h) मूल्यह्रास;

i) आयकर;

j) लीज़ शुल्क;

k) विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव;

l) विवेकपूर्णजांचकेबादबैंकशुल्क

m) घटाएं: गैर-टैरिफआय;

n) घटाएं: अन्यव्यवसायसेआय; और

o) घटाएं: ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में प्राप्तियाँ

संचालन एवं अनुरक्षण व्यय

10.3 संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्ययों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान एवं अन्य कर्मचारी व्यय;

b) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

c) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

10.4 नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष केलिए संचालन एवं रखरखाव (O&M) व्यय की स्वीकृति आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा परीक्षित खाते, लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना, आधार वर्ष केलिए वास्तविक अनुमानों, विवेकपूर्ण जांचऔर आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

10.5 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के समेकित राजस्व आवश्यकता (ARR) में स्वीकृत संचालन एवं रखरखाव (O&M) व्यय निम्नलिखित सूत्र के आधार पर अनुमोदित किए जाएंगे:

$$O\&M_n=(R\&M_n+EMP_n+A\&G_n)+TerminalLiabilities$$

जहाँ,

$R\&M_n$–लाइसेंसधारी (Licensee) के nth वर्ष के मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय;

EMP_n–लाइसेंसधारी के कर्मचारी लागत, जो कि nth वर्ष केलिए टर्मिनल देनदारियों को छोड़करहै;

$A\&G_n$–लाइसेंसधारी (Licensee) के nth वर्ष के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

10.6 उपर्युक्त अवयवों की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगी:

a) $R\&M_n=K*GFA*(INDX_n/INDX_0)$

जहाँ,

'K' एक नियतांक है (प्रतिशत% में व्यक्त) जो संचालन एवं रखरखाव (R&M) खर्च और सकल स्थिर संपत्ति (Gross Fixed Assets - GFA) के बीच संबंध को नियंत्रित करता है।इसे MYT आदेश में आधार वर्ष के पूर्व वर्ष के R&M को GFA के प्रतिशत % के आधार पर गणना किया जाएगा, जो किसी भी असामान्य खर्च को सामान्य करने के बाद किया जाएगा;

'GFA' nth वर्ष की स्थूल स्थिर परिसंपत्ति (Gross Fixed Asset) का प्रारंभिक मूल्य है;

INDXnनियंत्रण अवधि के nth वर्ष केलिए सूचकांकहै;

INDXoनियंत्रण अवधि के आधार वर्ष केलिए सूचकांक है;

b) EMP**n**+A&G**n**=[(EMP**n-1**)*(1+Gn)+(A&G**n-1**)]*(INDX**n**/INDX**n-1**) +

ए. एंडजी. (यदि कोई हो) केलिए प्रावधान जहाँ,

EMP**n-1**–लाइसेंसधारी (Licensee) के (n-1)वें वर्ष के कर्मचारी व्यय, अंतिम देनदारियों को छोड़कर;

A&G**n-1**–लाइसेंसधारी (Licensee) के (n-1)वें वर्ष के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विधिक/विवाद संबंधी खर्चों को छोड़कर;

INDX**n**–मुद्रास्फीति कारकजो कर्मचारी व्यय और A&G व्यय के इंडेक्सेशन हेतु प्रयुक्त होगा। यह आधार वर्ष से तत्पूर्ववर्ती वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का सम्मिलन होगा;

Gn–nth वर्ष के लिए एक वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या कम हो सकता है। Gnका मान आयोगद्वारा MYT आदेश में वितरण लाइसेंसधारी (Distribution Licensee) की फाइलिंग, बेंचमार्किंग तथा किसी भी अन्य उपयुक्त कारक को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित किया जाएगा;

प्रावधान: वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित लागत, पहल अथवा अन्य एक मुश्त व्यय, जो विवेकपूर्ण जाँच के अधीन हैं और आयोग द्वारा मान्य किये जाते हैं।

c) INDX**n**=0.55*CPI**n**+0.45*WPI**n**;

<u>टिप्पणी 1</u>: आकलन के उद्देश्य से समस्त नियंत्रण अवधि के लिए वही INDXn/INDXn-1 मान प्रयुक्त किया जाएगा। तथापि, आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (Annual Performance Review) अभ्यास के दौरान वास्तविक INDXn/INDXn-1 मान पर विचार करेगा तथा इस परिवर्तन के आधार पर नियंत्रण अवधि हेतु कर्मचारी व्यय एवं A&G व्यय का समायोजन (true up) करेगा;

<u>टिप्पणी 2</u>: वेतन आयोग, वेतन पुनरीक्षण समझौता या अन्य कारणों से अनुशंसित परिवर्तनों के कारण उत्पन्न किसी भी अंतर को आयोग पृथक रूप से विचार करेगा;

<u>टिप्पणी 3</u>: अंतिम देनदारियों को लाइसेंसधारी (Licensee) द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों तथा अभिलेखीय प्रमाण जैसे कि बीमांकिक (actuarial) अध्ययन पर आधारित होकर अनुमोदित किया जाएगा।

10.7 वितरण लाइसेंसधारी को नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) के दौरान किए गए विधिक या वाद संबंधी व्ययों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा।इसमें चालानों, शुल्क रसीदों, प्रकरण संदर्भों और भुगतान के प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज सम्मिलित होंगे।आयोग इन व्ययों की स्वीकार्यता का मूल्यांकन झारखंड राज्य वाद नीति (Jharkhand State Litigation Policy) के प्रावधानों के अनुसार करेगा।ऐसे व्ययों की वसूली को "सत्यापन (True-up)" के दौरान आयोग द्वारा की जाने वाली सावधानी पूर्वक जांच और दस्तावेजी प्रमाण न के अधीन स्वीकृत किया जाएगा।

कानूनी व्ययों को प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाएगा और यह सत्यापन (True-up) के समय विवेकपूर्ण जांच के अधीन होंगे।केवल वैध भुगतान प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही वास्तविक दावा की गई राशि की स्वीकृति दी जाएगी।

पूंजीलागत

10.8 लाइसेंसधारी की पूँजी लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) कार्य के मूल परिमाणपर किया गया अथवा किए जाने का प्रस्तावित व्यय, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याजएवं वित्तीय प्रभार, निर्माण अवधि के दौरान विदेशी विनिमय जोखिम परिवर्तन (Foreign Exchange Risk Variation) से उत्पन्न कोई भी लाभ अथवा हानि तथा योजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date) तक लिए गए वास्तविक ऋण सम्मिलित होंगे। इन्हें आयोगद्वारा यथोचित परीक्षण (prudence check) के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा और यह शुल्क (Tariff) निर्धारण का आधार होंगे;

b) पूँजीकृत प्रारंभिक स्पेयर (Capitalised Initial Spares), जो मूल परियोजना लागत के 1.5% की सीमा मानक के अधीन होंगे।

10.9 आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच (prudence check) के बाद स्वीकृत पूंजीगत लागत ही टैरिफ निर्धारण का आधारबनेगी:

जहां आयोग ने योजना की अनुमानित पूंजी लागत और वित्त पोषण योजना केलिए 'सैद्धांतिक स्वीकृति' (in principle approval) प्रदान की है, वहां यह स्वीकृति वास्तविक पूंजीगत व्यय पर सावधानीपूर्वक जांच (prudence check) लागू करने केलिए मार्गदर्शक तत्व के रूप में मानी जाएगी:

यदि वर्तमान योजनाओं की बात की जाए, तो 1 अप्रैल 2026 से पहले आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष केलिए परियोजित अतिरिक्त पूंजी व्यय (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक), जिसेआयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, पूंजी लागत के निर्धारण का आधार बनी रहेंगी;

यह भी प्रदान किया जाता है कि समय/लागत अधिकता के कारण पूंजी लागत में कोई भी वृद्धि केवल तभी स्वीकार्य होगी जब लाइसेंसधारी उचित दस्तावेजों और तथ्यों के साथ आयोग को संतुष्ट कर दे कि देरी अनियंत्रित कारणों के कारण हुई थी और लाइसेंसधारी की गलती नहीं थी।

10.10 शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से आयोगद्वारा अनुमन्य पूँजी लागत लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की गई एवं आयोग द्वारा अनुमोदित पूँजी निवेश योजना पर आधारित होगी।

10.11 उपभोक्ता अंशदान, अनुदानअथवा जमा कार्यों (Deposit Works) के माध्यम से वितरण तंत्र से संयोजन हेतु होने वाले व्यय को योजना की मूल लागत से घटाया जाएगा, ताकि इन विनियमों के अंतर्गत ऋण एवं इक्विटी की राशि की गणना की जा सके।

10.12 यदि ऐसी लागत किसी मौजूदा परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन या उन्नयन केलिए की गई है, तो प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की मूल लागत को पूंजी लागत से घटाया जाएगा और उसे पूंजीगत लागत से हटा दिया जाएगा।

अतिरिक्त पूँजीकरण

10.13 किसी परिसंपत्ति के उपयोग में लिए जाने के पश्चात् कार्य के मूल परिमाण के अंतर्गत किए गए अथवा किए जाने का प्रस्तावित पूँजीगत व्ययों का पूँजीकरण आयोगद्वारा यथोचित परीक्षण (Prudence Check)के अधीननिम्नलिखित मदों पर अनुमोदित किया जा सकता है:

a) स्थगित देनदारियाँ;

b) क्रियान्वयन हेतु स्थगित कार्य;

c) विवाद समाधान पुरस्कार को पूरा करने केलिए देनदारियां या किसी सांविधिक प्राधिकारी के आदेश या किसी न्यायालय के आदेश या हुक्म का पालन करने केलिए देन दारियां

d) कानून में परिवर्तन के कारण;

e) कोई भी अतिरिक्त कार्य/सेवाएँ, जो योजना के कुशल एवं सफल संचालन हेतु

आवश्यक हो गई हों परन्तु योजना की मूल लागत में सम्मिलित न हों;

f) दैवी आपदा / फोर्स मेज्योर परिस्थितियों के कारण वहन किए गए पूँजीगत व्यय;

g) घटाएँ: प्रतिस्थापित/उन्नत परिसंपत्तियों का अपूंजीकरण (De-Capitalisation), यदि कोई हो; तथा

h) घटाएँ: परिसंपत्तियाँ जिन्हें उपयोग में नहीं लिया गया है

यह प्रावधान किया जाता है कि कार्य की मूल परिकल्पना में सम्मिलित कार्यों का विवरण, व्यय के अनुमानों, अपूर्ण देनदारियों तथा निष्पादन हेतु स्थगित किए गए कार्यों सहित, योजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि के पश्चात शुल्क निर्धारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

10.14 यदि किसी वितरण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों का अ-पूँजीकरण (de-capitalisation) किया जाता है, तो ऐसी परिसंपत्ति की अ-पूँजीकरण की तिथि पर उसकी मूल लागत, जिसे विधिवत् उसके वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, सकल स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य से घटाई जाएगी, और उन परिसंपत्तियों पर संबंधित बकाया ऋण तथा इक्विटी को क्रमशः ऋण और इक्विटी शेष से घटाया जाएगा। ऐसे कटौतियाँ उसी वर्ष की जाएंगी जिस वर्ष अ-पूँजीकरण होता है, साथ ही संचयी मूल्यह्रास तथा ऋण की संचयी अदायगी में भी उस वर्ष का समुचित ध्यान रखते हुए आवश्यक समायोजन किया जाएगा जिस वर्ष परिसंपत्ति का पूँजीकरण किया गया था।

10.15 अनुमोदित योजना लागत के अंतर्गत अतिरिक्त पूँजीकरण का शुल्कपर प्रभाव आयोग द्वारा वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान विचाराधीन होगा:

निर्धारित किया गया है कि परिसंपत्ति आधार की मोनेटाइजेशन केलिए विकल्पों का पता लगाया जा सकता है, जिसे समग्र योजना की भाग के रूप में शामिल किया जाय।ऐसी प्रवृत्तियों की विस्तृतअध्ययन रिपोर्ट आयोग को अनुमोदन केलिए याचिका के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, और यह कार्यान्वयन से पहले किया जाना चाहिए।लेकिन ऐसी मोनेटाइजेशन प्रक्रिया किसी भी परिस्थिति में ग्रिड सुरक्षा, ग्रिड सुरक्षा और वितरण प्रणाली की अखंडता और विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

परंतु यह कि आयोग, किसी नई योजना पर, उसके गुण-दोषके आधार पर तथा इस शुल्क विनियमनके अनुसार यथोचित परीक्षणके अधीन विचार कर सकता है।

ऋण-इक्विटी अनुपात

10.16 मौजूदा योजनाओं केलिए यदि कोई पूंजीगत व्यय योजना 1 अप्रैल, 2026 से पहले पूंजीकृत की गई है, तो मार्च 31, 2026 तक के टैरिफ निर्धारण केलिए आयोग द्वारा स्वीकृत ऋण-इक्विटीअनुपात को माना जाएगा।

10.17 नए योजनाओं केलिए, जो 1 अप्रैल, 2026 के बाद पूंजीगत व्यय के तहत पूंजीकृत की जाएंगी:

a) एक मानक ऋण-इक्विटी अनुपात सत्तर:तीस (70:30) टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य केलिए माना जाएगा;

b) यदि वास्तविक इक्विटी 30 प्रतिशत (30%) से अधिकहै, तो टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से इक्विटी की राशि को 30प्रतिशत (30%) तक सीमित किया जाएगा, और शेष राशि को एक नॉरमेटिव लोन माना जाएगा;

c) यदि वास्तविक इक्विटी 30प्रतिशत30% से कम है तो वास्तविक ऋण-इक्विटी अनुपात को माना जाएगा;

d) यदि लाइसेंसधारीद्वारा शेयर पूँजीजारी करते समय कोई प्रीमियम राशि जुटाई गई हो अथवा मुक्त भंडार (Free Reserve) से सृजित आंतरिक संचितियाँ (Internal Accruals) निवेश की गई हों, तो उन्हें भी इक्विटी पर प्रतिफल (Return on Equity) की गणना के उद्देश्य से चुकता पूँजी (Paid-up Capital) माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संचितियाँ वास्तव में पूँजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त की गई हों।

टिप्पणी 1: कार्य के मूल परिमाण के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित कोई भी व्यय तथा प्रौद्योगिकीय-आर्थिक आधार पर स्थगित परंतु मूल परिमाण (Scope) के अंतर्गत आने वाले व्यय को इन विनियमों में निर्दिष्ट नाममात्र ऋण-इक्विटी अनुपात में ही परिपोषित (Serviced) किया जाएगा;
टिप्पणी 2: पुराने परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन अथवा नवीकरण और आधुनिकीकरणया आयु वृद्धि (Life Extension) पर किया गया कोई भी व्यय, मूल परिसंपत्तियों के संपूर्ण पुस्तकीय मूल्य (Book Value) को नई परिसंपत्ति की पूँजी लागत से हटानेके पश्चात्, इन विनियमों में निर्दिष्ट नाममात्र ऋण-इक्विटी अनुपातमें ही विचार किया जाएगा;
टिप्पणी 3: कार्य के मूल परिमाणमें सम्मिलित न होने वाले नए कार्यों के लिए आयोगद्वारा शुल्कनिर्धारण हेतु स्वीकृत कोई भी व्यय इन विनियमों में निर्दिष्ट नाममात्र ऋण-इक्विटी अनुपात में ही परिपोषित (Serviced) किया जाएगा।

10.18 लाइसेंसधारीवितरण लाइसेंसधारी (Distribution Licensee) के पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु किए गए अथवा किए जाने का प्रस्तावित आंतरिक संसाधनोंसे निधि प्रवाह (Infusion of Funds) के उपयोग के समर्थन में, कंपनी के निदेशक मंडल का प्रस्तावया अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आयोग को प्रस्तुत करेगा।

इक्विटी पर प्रतिफल

10.19 रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) की आधार दर पूंजीकृत संपत्तियों केलिए 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व पूंजीकृत की गईं हैं 14.50% (कर के बाद) होंगी।
तथा
01 अप्रैल, 2026 से पूंजीकृत संपत्तियों केलिए 15.00% (कर के बाद) होगी; बशर्ते कि आयोग रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) कीआधार दर के अतिरिक्त, वितरण लाइसेंसधारी को अतिरिक्त 0.50% आर ओई की अनुमति दे सकता है, यदि वह सार्वभौमिक आपूर्ति दायित्व वाली इकाइयों—जिसमें, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, धार्मिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएँ, स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियाँ, महत्वपूर्ण अवसंरचना सुविधाएँ तथा नवीकरणीय ऊर्जाए की करण परियोजनाएँ—को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। ऐसे अतिरिक्त आर ओई की पात्रता विशिष्ट एवं मापनीय प्रमुख प्रदर्शन संकेत कों (केपीआई) से संबद्ध होगी, जिनमें, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, SAIDI, SAIFI, आउटेज अवधि तथा उपर्युक्त श्रेणियों को आपूर्ति की विश्वसनीयता प्रतिशत शामिल हैं; तथा जिनका सत्यापन राज्य भार प्रेषणकेंद्र (SLDC) और/ या वैधानिक लेखापरीक्षक अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित किसी तृतीय-पक्ष एजेंसी द्वारा स्वतंत्र प्रमाण न के माध्यम से किया जाएगा।

10.20 प्रत्येक वर्ष के लिए उपयोग में ली गई परिसंपत्तियोंमें नियोजित इक्विटी पर प्रतिफल निम्न के आधार पर अनुमन्य होगा:

a) वर्ष की शुरुआत में पूँजीकृत उपयोग में परिसंपत्तियों पर, इन विनियमों के विनियम 10.16 के अनुसार नियोजित इक्विटी; तथा

b) नियमोंके**उपबंध 10.17**केअनुसार, उससंपत्तिपरजोवर्षकेदौरानचालूकीगईहै, पूंजीगत व्यय में परियोजित इक्विटी का पचास प्रतिशत (50%) माना जाएगा।.

वितरण लाइसेंसधारी को सम्बंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी आवश्यकडेटा, जानकारी, और सहायक दस्तावेज़ याचिका दाखिल करने वाले वर्ष के 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने होंगे| निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पूर्ण डेटा प्रस्तुत ना करने पर ,लाइसेंसधारी संबंधित अवधि केलिए वहन लागत (carrying cost) का दावा करने केलिए अपात्र हो जाएगा, जब तक कि आयोग द्वारा लिखित कारणों सहित छूट ना जाए।

ऋण पूँजी पर ब्याज

10.21 नियमों के उपबंध 10.16 और 10.17 में निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त ऋणों को ब्याज की गणना केलिए सकल प्रारूपिक ऋण (gross normative loan) माना जाएगा।

10.22 1 अप्रैल, 2026 को शेषप्रारूपिक ऋण (normative loan outstanding) को सकल ऋण

(gross loan) से कमी करके निकाला जाएगा, जिसमें मार्च 31, 2025 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान (cumulative repayment) घटा दी जाएगी।

10.23 नियंत्रण अवधि (Control Period) के प्रत्येक वर्ष केलिए पुन भुगतान (repayment) उस वर्ष केलिए स्वीकृत मूल्यह्रास (depreciation) के बराबर माना जाएगा।

10.24 जब परिसंपत्तियों का डी-कैपिटलाइजेशन हो, तो पुनर्भुगतान (repayment) को संचयी पुनर्भुगतान (cumulative repayment) के प्रोत-राटा (pro-rata) आधार पर समायोजित किया जाएगा।यह समायोजन संचयी मूल्यह्रास (cumulative depreciation) को उस तारीख तक पार नहीं करना चाहिए, जब परिसंपत्तियों काडी-कैपिटलाइजेशन किया गया हो।

10.25 भले ही लाइसेंसधारी द्वारा किसी स्थगन अवधि (moratorium period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को योजना/संपत्ति के प्रथम वर्ष के संचालन से ही माना जाएगा।

10.26 ब्याज की दर, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर(weighted average rate) होगी, जो लाइसेंसधारी पर लागू होगी:

निर्धारित है कि ब्याज दर संबंधित नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष केलिए बैंक रेट से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के 1 अप्रैल को लागू हो, इसके साथ अतिरिक्त 200 बेसिस पॉइंट्स से अधिक नहीं होगा।

यदि किसी विशेष वर्ष केलिए वास्तविक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण (normative loan) अभी भी बकाया है, तो उस वर्ष केलिए ब्याज दर को मानक आधार पर माना जाएगा।यह ब्याज दर उस वर्ष के 1 अप्रैल को लागू बैंक दर (Bank Rate) के साथ-साथ दो सौ बेसिस पॉइंट (2%) अतिरिक्त कर के निर्धारति होगी।

10.27 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानक औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर लागू करके की जाएगी।

10.28 उपरोक्त ब्याज गणना में उस ऋण राशि पर ब्याज सम्मिलित नहीं होगा, चाहे वह मानक या वास्तविक हो, जो उपभोक्ता अंशदान, अनुदान या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए डिपॉज़िट कार्यों से निधिकृत पूंजी लागत की सीमा तक हो।

10.29 लाइसेंसधारी को ऋण का पुनर्वित्तकरने के लिए हरसंभव प्रयास करना होगा, बशर्ते कि इससे ब्याज पर शुद्ध बचत हो। ऐसी स्थिति में पुनर्वित्त से संबंधित लागत उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी और शुद्ध बचत उपयोगकर्ताओं तथा लाइसेंसधारी के बीच पचास:पचास (50:50)के अनुपात में विभाजित की जाएगी।

कार्यकारीपूंजीपर ब्याज

10.30 व्हीलिंग व्यवसाय के नियंत्रण अवधि केलिए कामकाजी पूंजी मेंनिम्नलिखित शामिल होंगे:

a) व्हीलिंग व्यवसाय केलिए प्रारंभिक सकल स्थिर संपत्ति (Opening GFA) का एक प्रतिशत(1%) रख रखाव स्पेयर (Maintenance spares) के रूप में निर्धारित किया जाएगा;
जोड़(plus)

b) व्हीलिंग शुल्कों से अपेक्षित राजस्व का दो महीने का समतुल्य, वर्तमान लागू टैरिफों के अनुसार,
घटाव(minus)

c) यदि कोई राशि सुरक्षा जमा (security deposits) के रूप में रखी गई है

10.31 रिटेल विद्युत आपूर्ति के नियंत्रण अवधि केलिए कामकाजी पूंजी में शामिलहोंगे:

a) रिटेल सप्लाई व्यवसाय केलिए, प्रारंभिक सकल स्थिर संपत्ति (Opening GFA) के एक प्रतिशत (1%)को रखरखाव स्पेयर (Maintenance spares) के रूप में निर्धारित किया जाएगा।
जोड़(plus)

b) रिटेल सप्लाई व्यवसाय केलिए, वर्तमान लागू टैरिफों पर बिजली की बिक्री से अपेक्षित राजस्व का दो महीने का समतुल्य;
घटाव(minus)

c) जो राशि उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से धारा 47 की उपधारा (1) के उपधारा (a) और (b) के तहत सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई है, उसमें से व्हीलिंग व्यवसाय केलिए रखी गई सुरक्षा जमा;
घटाव(minus)

d) वर्षीय विद्युत खरीद योजना के आधार पर, बिजली खरीद की लागत का एक महीने का समतुल्य, जिसमें अंतर-राज्यीय (Inter-State) औरआंतरिक राज्यीय (Intra-State) ट्रांसमिशन शुल्क और लोड डिस्पैच शुल्क शामिल हैं, कामकाजी पूंजी में शामिल किया जाएगा।

10.32 ट्रू-अप प्रक्रिया में, कामकाजी पूंजी पर ब्याज दर उस वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को लागू बैंक रेट के बराबर होगी, जिसमें MYT याचिका दाखिल की गई है, इसके साथ तीन सौ पचास (350) बेसिस पॉइंट्स जोड़े जाएंगे।ट्रू-अप के समय, ब्याज दर को उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू वास्तविक दर के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जिस केलिए ट्रू-अप किया जा रहा है।

उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज

10.33 उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर देय ब्याज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के 2015 के विद्युत आपूर्ति कोड नियमों, प्रथम संशोधन नियम, 2018, और द्वितीय संशोधन नियम, 2024 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा समय-समय पर इस नियम में किए गए अन्य संशोधन या प्रतिस्थापन भी लागू होंगे।

मूल्यह्रास

10.34 मूल नियमों के अनुसार, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष केलिए मूल्यह्रास (depreciation) की गणना संबंधित वर्ष के स्थिर परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत (original cost) पर की जाएगी, जैसा किआयोग द्वारा स्वीकृत हो।:
बशर्ते कि उपभोक्ता अंशदान और पूंजी सब्सिडी/अनुदान से वित्त पोषित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (Depreciation) की अनुमति नहीं दी जाएगी।ऐसी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन (Replacement) केलिए प्रावधान पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan) में किया जाएगा।

10.35 प्रत्येक वर्षकेलिएमूल्यह्रास (depreciation) कीगणनाइननियमोंमेंनिर्दिष्टविधि-शास्त्र (methodology), साथहीइनदरोंऔरअन्यशर्तोंकेआधारपरकीजाएगी।

10.36 मूल्यह्रास की गणना वार्षिक रूप से 'स्ट्रेट-लाइन विधि' के आधार पर, **परिशिष्ट-I**में निर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी। मूल्यह्रास की गणना हेतु मूल आधार परिसंपत्ति की मूल लागत होगी:
यह प्रावधान किया जाता है कि एक बार जब किसी परिसंपत्ति का व्यक्तिगत मूल्य उसकी पुस्तकीय कीमत (Book Value) के सत्तर (70) प्रतिशत तक मूल्यह्रासित हो जाए, तो शेष मूल्यह्रास योग्य राशि, उस वर्ष के 31 मार्च को मौजूद शेष उपयोगी आयु के दौरान वितरित की जाएगी।

10.37 परिसंपत्ति के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से मूल्यह्रास वसूल किया जाएगा। यदि परिसंपत्ति का परिचालन वर्ष के केवल एक हिस्से के लिए हुआ हो, तो मूल्यह्रास आनुपातिक (pro-rata) आधार पर वसूला जाएगा।

10.38 परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य दसप्रतिशत (10%) माना जाएगा तथा परिसंपत्ति की मूल लागत का अधिकतम नब्बेप्रतिशत(90%) तक मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी। भूमि मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति नहीं है और उसकी लागत को परिसंपत्ति की मूल लागत के नब्बेप्रतिशत(90%) की गणना से बाहर रखा जाएगा।
यह प्रावधान किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) उपकरण एवं सॉफ्टवेयर के लिए अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाएगा तथा परिसंपत्तियों के सतप्रतिशत (100%) मूल्य को मूल्यह्रास योग्य माना जाएगा;

10.39 आयोग, यदि स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर उपलब्ध न हो, तो वितरण लाइसेंसधारी के नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित खातों के अनुसार मूल्यह्रास और औसत सकल स्थायी परिसंपत्तियों को विभाजित कर प्राप्त मूल्यह्रासप्रतिशत (%) की गणना कर सकता है। इस प्रकार

प्राप्त मूल्यह्रास (%) को आयोग द्वारा अनुमोदित संबंधित वित्तीय वर्ष की औसत स्थायी परिसंपत्तियों (GFA) से गुणा किया जाएगा ताकि उस वित्तीय वर्ष के मूल्यह्रास का निर्धारण किया जा सके।

10.40 परिसंपत्तियों के अ-पूँजीकरण (de-capitalisation) की स्थिति में, संचयी मूल्यह्रास को इस बात को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा कि उस परिसंपत्ति द्वारा उसकी उपयोगी सेवा अवधि के दौरान, शुल्क के माध्यम से कितना मूल्यह्रास वसूल किया गया है।

बिजली खरीद की लागत

10.41 **विद्युत क्रय की मात्रा:**लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय आवश्यकता का अनुमान प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित श्रेणीवार बिक्री पूर्वानुमान तथा वितरण हानि प्रक्षेपवक्र (loss trajectory) को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

10.42 लाइसेंसधारी को उन स्रोतों से क्रय की गई विद्युत की शुद्ध लागत की वसूली की अनुमति होगी, जिन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, जैसे अंतराज्यीय एवं अंतर्राज्यीय ट्रेडिंग लाइसेंसधारी, द्विपक्षीय क्रय, थोक आपूर्तिकर्ता, राज्य उत्पादन स्टेशन, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, केंद्रीय उत्पादन स्टेशन, अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादक, लाइसेंसधारी का उत्पादन व्यवसाय तथा अन्य। यह मानते हुए कि प्रत्येक स्रोत से उपलब्ध अधिकतम मानक छूट (normative rebate) बिल भुगतान हेतु प्राप्त होगी:
बशर्ते कि लाइसेंसधारी विद्युत क्रय की लागत का प्रस्ताव, चालू वर्ष में वहन की गई नवीनतम उपलब्ध ऊर्जा शुल्क दर को ध्यान में रखते हुए करेगा, जिसमें झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2025 तथा उनमें समय-समय पर किए गए किसी भी संशोधन के अंतर्गत उत्पादन स्टेशनों केलिए निर्दिष्ट ईंधन मूल्य समायोजन सूत्र और द्विपक्षीय विनिमयों तथा अनिर्धारित इंटर चेंज (यूआई) लेन-देन के माध्यम से अधि शेष विद्युत की बिक्री से अर्जित शुद्ध राजस्व को शामिल किया जाएगा।:

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जब लाइसेंसधारी स्वीकृत विद्युत क्रय या खुदरा आपूर्ति व्यवसाय हेतुआवंटित अथवा अनुबंधित थोक आपूर्ति का कोई भाग अपने ट्रेडिंग व्यवसाय में उपयोग करता है, तो लाइसेंसधारी को एक आवंटन विवरण पत्र (Allocation Statement) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्रोतवार विद्युत क्रय लागत का स्पष्ट उल्लेख हो, जो ऐसी ट्रेडिंग गतिविधि से संबंधित हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वही अनियोजित विद्युत, जो संबंधित समयावधि में मेरिट ऑर्डर प्रेषण का पालन करने के पश्चात उपलब्ध हो, अधिशेष विद्युत के रूप में व्यापार की जाए।

10.43 विद्युत क्रय लागत को अनुमोदित करते समय आयोग विद्युत क्रय की मात्रा का निर्धारण विभिन्न स्रोतों से 'मेरिट ऑर्डर प्रेषण' के सिद्धांतों के अनुसार करेगा, जो विद्युत क्रय की परिवर्ती (वैरिएबल) लागत के आधार पर सभी स्वीकृत आपूर्ति स्रोतों की रैंकिंग पर आधारित होगा। विद्युत क्रय की सभी लागतों को वैध माना जाएगा, जब तक यह सिद्ध न हो कि मेरिट ऑर्डर सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है या विद्युत का क्रय अव्यवहारिक दरों पर किया गया है।

10.44 अधिशेष विद्युत की बिक्री से प्राप्त अनुमानित राजस्व, यदि कोई हो, को सकल विद्युत क्रय लागत से घटाकर ए.आर.आर. में शुद्ध विद्युत क्रय लागत का अनुमान लगाया जाएगा।

10.45 लाइसेंसी को झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व एवं उसका अनुपालन) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (Renewable Purchase Obligation) का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि प्रथम संशोधन विनियम, 2021 तथा द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 द्वारा संशोधित किया गया है, या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर आगे संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

10.46 ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत तथा प्रसारण शुल्क में परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की लागत में, आयोग द्वारा स्वीकृत आपूर्ति लागत के सन्दर्भ में, यदि लाइसेंसी के नियंत्रण से परे कारणों से कोई अंतर उत्पन्न होता है, तो ऐसेअंतर की वसूली इन विनियमों के क्लॉज 10.67 से क्लॉज 10.74E

में निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार **एफपीपीएएस (FPPAS)** के माध्यम से करने की अनुमति दी जाएगी।

वितरण हानियाँ

10.47 लाइसेंसधारी, संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए वितरण हानि प्रक्षेपवक्र (loss trajectory) व्यवसाय योजना में प्रत्येक वर्ष की पूंजी निवेश योजना के अनुरूप आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा, जिसे सत्यापन एवं मूल्यांकन के पश्चात अनुमोदित किया जाएगा।

10.48 लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वोल्टेज-वार हानियों का भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ताकि वोल्टेज-वार आपूर्ति लागत तथा वोल्टेज-वार व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण किया जा सके।

प्रसारण, लोड प्रेषण एवं व्हीलिंग शुल्क

10.49 लाइसेंसधारी को अंतराज्यीय प्रसारण लाइसेंसधारी, राज्य प्रसारण लाइसेंसधारी आदि तथा प्रणाली परिचालकों (जैसे क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्र, राज्य लोड प्रेषण केंद्र आदि) को भुगतान योग्य शुद्ध प्रसारण एवं लोड प्रेषण शुल्क की वसूली करने की अनुमति होगी, जो अंतराज्यीय प्रसारण प्रणाली, अंतराज्यीय प्रसारण प्रणाली तक पहुँच एवं उसके उपयोग तथा लोड प्रेषण सेवाओं के उपभोग हेतु देय हों। यह मानते हुए कि प्रत्येक स्रोत से बिल भुगतान के लिए उपलब्ध अधिकतम मानक छूट (normative rebate) प्राप्त होगी, और यह वसूली समय-समय पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग तथा उपयुक्त राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क के अनुसार प्रस्तुत बिलों के आधार पर की जाएगी।

10.50 यदि खुदरा आपूर्ति व्यवसाय हेतु विद्युत क्रय के लिए अन्य लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो नियंत्रण अवधि के दौरान लाइसेंसधारी को व्हीलिंग शुल्क की वसूली की भी अनुमति होगी।

आयकर

10.51 लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय पर आयकर, यदि कोई हो, को इक्विटी पर स्वीकृत प्रतिफल (Return on Equity) पर देय कर तक ही सीमित रखा जाएगा।

10.52 वास्तव में देय अथवा प्रदत्त आयकर, इक्विटी पर स्वीकृत प्रतिफल पर देय कर तक सीमित होकर, ट्रू-अप करते समय ए.आर.आर. में सम्मिलित किया जाएगा। आयकर का वास्तविक निर्धारण कर अवकाश (Tax Holiday) के लाभ तथा आयकर अधिनियम, 1961 एवं उसके संशोधनों के अनुसार लागू अग्रसारित हानियों के क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। वितरण लाइसेंसधारी की अन्य आय धाराओं पर कर लाभार्थियों से वसूल नहीं किया जाएगा।

गैर-शुल्क आय

10.53 वितरण व्यवसाय से संबंधित गैर-शुल्क आय (Non-Tariff Income) की राशि, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है, उसे एआरआर (ARR – Annual Revenue Requirement) से घटाया जाएगा, ताकि खुदरा आपूर्ति शुल्क (Retail Supply Tariff) और व्हीलिंग शुल्क (Wheeling Charges) का निर्धारण किया जा सके:
बशर्ते कि वितरण लाइसेंसी अपनी अनुमानित गैर-शुल्क आय (Non-Tariff Income) का पूर्ण विवरण आयोग को उस प्रारूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा किआयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो।

10.54 गैर-शुल्क आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) भूमि या भवन के किराये से आय;

b) कबाड़ की बिक्री से आय;

c) निवेश से आय;

d) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान पर संचित ब्याज;

e) कर्मचारियों को दिए गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय;

f) स्टाफ क्वार्टरों के किराये से आय;

g) ठेकेदारों से किराये द्वारा आय;

h) ठेकेदारों एवं अन्य से प्राप्त किराया/भाड़ा शुल्क द्वारा आय;

i) विलंबित भुगतान अधिभार, पर्यवेक्षण शुल्क आदि से प्राप्त आय, इत्यादि;

j) पूंजीगत कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क;

k) विद्युत की चोरी और/या अनधिकृत उपभोग के विरुद्ध वसूली से प्राप्त आय;

l) विज्ञापनों से आय;

m) निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय;

n) परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (अर्थात परिसंपत्ति की बिक्री मूल्य और पुस्तकीय मूल्य का अंतर);

o) अन्य कोई गैर-शुल्क आय:

बशर्तेकि वितरण लाइसेंसधारी के विनियमित व्यवसाय से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल से की गई निवेशों पर अर्जित ब्याज को गैर-शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यह दायित्व लाइसेंसधारी पर होगा कि वह आयोग को संतुष्ट करने हेतु यह प्रमाणित करे कि ऐसे निवेश वास्तव में इक्विटी पर प्रतिफल से ही किए गए हैं।

अन्य व्यवसाय से आय

10.55 यदि लाइसेंसी, अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत अपने विनियमित व्यवसाय की परिसंपत्तियों और/या जनशक्ति के इष्टतम उपयोग के लिए किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है, तो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त आय की गणना निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जाएगी:

1. लाइसेंसी किसी भी प्रकार से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय (Licensed Business) की परिसंपत्तियों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा, और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों की अनुमतिदेगा, जिनसे किसी भी प्रकार लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसाय को सब्सिडी प्रदान करने का परिणाम उत्पन्न हो;

2. लाइसेंसी किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं को अन्य व्यवसाय या लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के अतिरिक्त किसी गतिविधि हेतु बाध्यक नहीं करेगा;

3. लाइसेंसी, लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय में जिन लागतों का हिसाब किया गया है और जो अन्य व्यवसाय के लिए व्यय की गई हैं, उनका विधिवत भुगतान करेगा। और यदि ऐसी लागत लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय दोनों के लिए सामान्य रूप से व्यय की गई हो, तो ऐसी लागत का उचित विभाजन कर यह सुनिश्चित करेगा कि विभाजित हिस्से का भुगतान अन्य व्यवसाय द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय को किया जाए;

4. अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व, ऐसे समान व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रचलित बाजार परिस्थितियों के अनुरूप होगा;

5. ऊपर उप-खंड 3 के अंतर्गत लागतों के बंटवारे के अतिरिक्त, लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का एक निश्चित अनुपात लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय को विधिवत अदा किया जाए। सामान्य सिद्धांत के अनुसार, लाइसेंसी अन्य व्यवसाय से प्राप्त कुल राजस्व का पचासप्रतिशत (50%) अपने पास रखेगा और शेष पचासप्रतिशत (50%) उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करेगा।

10.56 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, लाइसेंसी की राजस्व आवश्यकता (ARR) की गणना करते समय ARR से घटाया जाएगा:

यह प्रावधान है कि लाइसेंसी, वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए एक उचित आधार का पालन करेगा और

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आवंटन विवरणको टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा:

यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग, अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अधिक हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे अन्य व्यवसाय के कारण लाइसेंसी के ARR में कोई राशि जोड़ी नहीं जाएगी।

लीज शुल्क

10.57 लाइसेंसी द्वारा लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लीज शुल्क को लीज समझौते के अनुसार मानाजाएगा, बशर्ते कि आयोग उन्हें उचित मानता हो।

विदेशी विनिमय दर परिवर्तन

10.58 लाइसेंसी, विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और लाइसेंसी द्वारा प्राप्त विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को सुरक्षित (हेज) करेगा।

10.59 लाइसेंसी, संबंधित वर्ष में मानक विदेशी ऋण से जुड़ी विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के हेजिंग की लागत को वर्ष दर वर्ष उस अवधि में व्यय के रूप में वसूल करेगा जिसमें यह उत्पन्न होतीहै, और ऐसे विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त रुपये की देनदारी, सुरक्षित (हेज) किए गए विदेशी ऋण के विरुद्ध स्वीकार्य नहीं होगी।

10.60 लाइसेंसी, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन और हेजिंग की लागत को वर्ष दर वर्ष उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेगा जिसमें यह उत्पन्न होती है।

वार्षिक राजस्व आवश्यकता की वसूली

10.61 टैरिफ आदेश में स्वीकृत स्थिर शुल्क (Fixed Charges) की वसूली, उपभोक्ता के मीटर में दर्ज वास्तविक आपूर्ति घंटों के आधार पर की जाएगी। आयोग, अपने MYT/टैरिफ आदेशों में HT और LT उपभोक्ताओं के लिए स्थिर शुल्क की पूर्ण वसूली हेतु न्यूनतम आपूर्ति घंटे निर्दिष्ट करेगा। स्थिर शुल्क की वसूली, निर्दिष्ट न्यूनतम आपूर्ति घंटों के अनुपात में की जाएगी:

यह प्रावधान है कि इस प्रकार से गणना किए गए वसूल किए जाने योग्य स्थिर शुल्क में कटौती को आपूर्ति घंटों में कमी के कारण अस्वीकृति (disallowance) माना जाएगा और इसे वितरण लाइसेंसी के ARR में वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

यह भी प्रावधान है कि यदि वास्तविक आपूर्ति घंटे, HT और LT उपभोक्ताओं के लिए स्थिर शुल्क की पूर्ण वसूली हेतु निर्धारित न्यूनतम आपूर्ति घंटों के बराबर या उससे अधिक हों, तो वितरण लाइसेंसी पूर्ण स्थिर शुल्क की वसूली करेगा।

स्पष्टीकरण: यदि आयोग ने किसी HT उपभोक्ता के लिए न्यूनतम आपूर्ति घंटे 23 घंटे और प्रति माह 350 रुपये प्रति kVA स्थिर शुल्क स्वीकृत किया है, तथा वास्तविक औसत आपूर्ति घंटे किसी माह में ऐसे उपभोक्ता के लिए 22 घंटे प्रतिदिन हैं, तो ऐसे उपभोक्ता से वितरण लाइसेंसी द्वारा वसूले जाने योग्य स्थिर शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी:

वसूले जाने योग्य स्थिर शुल्क = 22/23 * 350 = रुपये 334.78 प्रति kVA प्रति

माह क्रॉस-सब्सिडी अधिभार

10.62 लाइसेंसी के नेटवर्क पर ओपन एक्सेस चुनने वाले उपभोक्ताओं द्वारा देय अधिभार आयोग द्वारा निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:

S = T- [C/(1 – (L/ 100)) + D + R]

जहाँ,

S अधिभार है;

T is संबंधित श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा देय टैरिफ है, जिसमें नवीकरणीय क्रय बाध्यता (Renewable Purchase Obligation) का समावेश है;

C वह प्रति इकाई भारित औसत विद्युत खरीद लागत है जो लाइसेंसी द्वारा वहन की जाती है, जिसमें नवीकरणीय खरीद दायित्व की पूर्ति भी शामिल है;D वह कुल योग है जो संबंधित वोल्टेज स्तर पर लागू प्रसारण, वितरण और व्हीलिंग शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है;

L प्रसारण, वितरण और वाणिज्यिक हानियों का कुल योग है, जिसे संबंधित वोल्टेज स्तर पर लागू प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

R नियामक परिसंपत्तियों को वहन करने की प्रति इकाई लागत है:

बशर्ते कि अधिभार, जिसे आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (a) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक नहीं होगा।

व्हीलिंग शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार

10.63 अतिरिक्त अधिभार 'मामला-दर-मामला' आधार पर निर्धारित किया जाएगा और केवल तभी देय होगा जब लाइसेंसी किसी भी फंसी हुई लागत (Stranded Costs) की घटना को निर्णायक रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम हो।

10.64 क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार को उन उपभोक्ता श्रेणियों से टैरिफ से प्राप्त राजस्व के रूप में दिखाया जाएगा जिन्हें ओपन एक्सेस की अनुमति है, और ऐसी राशि का उपयोग सब्सिडी प्राप्त श्रेणियों की क्रॉस-सब्सिडी आवश्यकताओं तथा आपूर्ति के दायित्व से उत्पन्न लाइसेंसी की स्थिर लागतों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। लाइसेंसी, पिछले नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अपनी MYT फाइलिंग में विवरण देगा और नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक फाइलिंग प्रस्तुत करेगा।

ईंधन मूल्य और विद्युत क्रय समायोजन (FPPPA)

10.65 ईंधन एवं विद्युत खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) का सूत्र अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार प्रदान किया गया है, ताकि विद्युत खरीद लागत में मासिक आधार पर होने वाली वृद्धि या कमी की वसूली/समायोजन किया जा सके।

10.66 ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का गणना तथा उपभोक्ताओं से वसूली,

वितरण लाइसेंसधारी (Distribution Licensee) द्वारा स्वचालित रूप से मासिक आधार पर की जाएगी, जिसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र लागू होगा। यह प्रक्रिया किसी पृथक नियामकीय अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना की जाएगी, तथापि इसका वार्षिक आधार पर समायोजन (True-up) किया जाएगा:

यह उपबंधित है कि स्वचालित पास थ्रू का समायोजन इन विनियमों के अनुसार मासिक बिलिंग हेतु किया जाएगा।

10.67 ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का गणना और वसूली वितरण लाइसेंसधारी द्वारा (n + 2)वें माह में की जाएगी, जो कि nवें माह के दौरान क्रय की गई विद्युत हेतु ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत तथा अंतर्राज्यीय संचरण शुल्क में वास्तविक परिवर्तन के आधार पर होगी। उदाहरणार्थ, किसी वर्ष के अप्रैल माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए दरों में हुए परिवर्तन के आधार पर ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का गणना एवं बिलिंग उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में की जाएगी:
यह उपबंधित है कि यदि वितरण लाइसेंसधारी, किसी भी कारणवश, ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का गणना और वसूली निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं करता है, तो, किसी भी बलात कारण (Force Majeure) की स्थिति को छोड़कर, ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के रूप में लागत की वसूली का उसका अधिकार निरस्त माना जाएगा, तथा ऐसे मामलों में, वार्षिक समायोजन (True-up) के दौरान निर्धारित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी समाप्त माना जाएगा।

10.68 वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं पर दर झटका (tariff shock) पड़ने से बचाने के उद्देश्य से, ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार या उसके किसी भाग को आगामी माह के लिए अग्रेषित (carry forward) करने का निर्णय ले सकता है, परंतु ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का यह अग्रेषण अधिकतम दो माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ऐसा अग्रेषण तभी लागू होगा, जब किसी बिलिंग माह के लिए कुल ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, जिसमें पिछले माह से अग्रेषित किया गया अधिभार भी सम्मिलित है, स्वीकृत दर के परिवर्ती घटक (variable component) के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

10.69 अग्रेषित राशि की वसूली एक वर्ष के भीतर या अगले दर निर्धारण चक्र (tariff cycle) से पूर्व, जो भी पहले हो, कर ली जाएगी, और ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूली गई राशि को सबसे पहले ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के सबसे पुराने अग्रेषित भाग के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, तत्पश्चात क्रमशः अगले माह के अग्रेषित भाग के विरुद्ध।

10.70 ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के अग्रेषण की दशा में, उस पर बैंक दर (Bank Rate) से एक सौ पचास 150 आधार अंक (basis points) अधिक की वहन लागत (carrying cost) तब तक स्वीकार्य होगी जब तक कि उक्त राशि की वसूली दर (tariff) के माध्यम से नहीं हो जाती। यह वहन लागत संबंधित वर्ष में वास्तविक समायोजन (true-up) के दौरान समायोजित की जाएगी।

10.71 ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की मात्रा के अनुसार, स्वचालित पास थ्रू को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि—,

i. यदि ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार पाँच प्रतिशत (5%) तक है, तो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा गणना किए गए ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की सत प्रतिशत (100%) लागत वसूली के लिए स्वचालित रूप से निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा।

ii. यदि ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार पाँच प्रतिशत (5%) से अधिक है, तो उप-नियम (i) के अनुसार पाँच प्रतिशत (5%) ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन

अधिभार स्वचालित रूप से वसूला जाएगा। शेष ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का नब्बे प्रतिशत (90%) स्वचालित रूप से सूत्र के माध्यम से वसूला जाएगा, और शेष अंतर दावा आयोग द्वारा वार्षिक समायोजन (true-up) के दौरान अनुमोदन के बाद वसूला जाएगा।

10.72 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पास-थ्रू ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के रूप में वसूली गई आय का संबंधित वर्ष के लिए बाद में समायोजन (true-up) किया जाएगा, और किसी भी वित्तीय वर्ष का समायोजन आयोग द्वारा याचिका स्वीकार करने की तारीख के बाद एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

10.73 यदि किसी वर्ष के लिए ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के मुकाबले अधिक आय वसूली गई हो, तो उस अधिक राशि को वार्षिक समायोजन (true-up) के समय वितरण लाइसेंसधारी से वसूल किया जाएगा, साथ ही इसके वहन लागत (carrying cost) पर आयोग द्वारा अनुमोदित वहन लागत दर का 1.20 गुणा लागू होगा। और ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की न्यून वसूली (under recovery) को भी वार्षिक समायोजन के दौरान स्वीकार किया जाएगा, जिसे स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार राशि के साथ बिल किया जाएगा।

व्याख्या: उदाहरण के लिए, जुलाई महीने में, मई के महीने में आपूर्ति की गई बिजली के लिए स्वचालित पास थ्रू घटक और पिछले वर्ष के अप्रैल महीने के लिए वार्षिक समायोजन (true up) के बाद वसूली योग्य अतिरिक्त ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, यदि कोई हो, का बिल किया जाएगा।

10.74 A वितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा आवश्यक, निर्धारित प्रारूपों में खर्चों और वसूली गई ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में अंतर के विवरण, विस्तृत गणनाएँ एवं सहायक दस्तावेज वार्षिक सामान्य दर समायोजन (true up of the normal tariff) के दौरान प्रस्तुत करने होंगे।

B ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार तंत्र और उसकी वसूली के सुचारू क्रियान्वयन के लिए, वितरण लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका बिलिंग सिस्टम इसे ध्यान में रखकर अपडेट किया गया हो और एक एकीकृत बिलिंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता की परवाह किए बिना, इंटरऑपरेबिलिटी या उपलब्ध खुले स्रोत सॉफ़्टवेयर के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

वितरण लाइसेंसधारी को ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार से संबंधित सभी विवरण जैसे कि अधिभार का सूत्र, मासिक अधिभार के लिए गणना और अधिभार की वसूली (स्वचालित और अनुमोदित हिस्सों के लिए अलग-अलग) अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी और इसे एक समर्पित वेब पते के माध्यम से संग्रहित भी करना होगा। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं को अधिभार संबंधी सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी।

C ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) : ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) प्रतिशत (%) में की गणना के लिए सूत्र इस प्रकार है

nवें महीने के लिए:

nवें महीने के लिए मासिक FPPAS प्रतिशत (%) =

$$Monthly\ FPPAS\ for\ the\ nth\ Month\ (\%) = \frac{(A-B)\times C + (D-E)}{Z\ \times \left(1 - \frac{Distribution\ losses\ in\ \%}{100}\right)} \times ABR$$

'nth' माह का अर्थ है वह माह जिसमें ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह अधिभार उस (n-2)वें माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए दरों में हुए परिवर्तनों के कारण होता है;

'A' का अर्थ है (n – 2)वें महीने में (kWh में) सभी स्रोतों से खरीदे गए कुल यूनिट, जिनमें दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक विद्युत खरीद शामिल हैं। यह आंकड़ा वितरण लाइसेंसधारी को जारी किए गए बिलों से लिया जाता है;

'B' का अर्थ है (n – 2)वें महीने में कुल थोक विद्युत बिक्री (किलोवाट घंटे में), जिसे राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा प्रत्येक महीने की 10वीं तारीख तक जारी किए जाने वाले अस्थायी खातों से लिया जाता है;

'C' वृद्धि-जनित औसत विद्युत क्रय लागत है = सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत (PPC) (₹/kWh) (गणना की गई) (n – 2)वें माह की – सभी स्रोतों से अनुमानित औसत विद्युत क्रय लागत (PPC) (₹/kWh) (टैरिफ आदेश के अनुसार);

'D' का अर्थ है (n – 2)वें महीने में वास्तविक अंतर-राज्य और राज्य-भीतरी संचरण शुल्क, जो कि संचरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को जारी किए गए बिलों से लिया जाता है (रुपये में);

'E' का अर्थ है (n – 2)वें माह हेतु प्रसारण प्रभारों की मूल लागत = (स्वीकृत प्रसारण प्रभार / 12) (रुपये में);

'Z' = [{(n – 2)वें माह में राज्य के बाहर के सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तविक विद्युत (किलोवाट-घंटा में) × (1 – अंतर्राज्यीय प्रसारण हानियाँ प्रतिशत में / 100) + राज्य के भीतर

के सभी स्रोतों से खरीदी गई विद्युत (किलोवाट-घंटा में)} × (1 – अंतराज्यीय हानियाँ प्रतिशत में / 100) – B](pplx://action/translate) किलोवाट-घंटा में;

'ABR' वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (जिसे टैरिफ ऑर्डर से ₹/kWh में लिया जाता है);

'डिस्ट्रिब्यूशन लॉस (प्रतिशत में)' लक्षित वितरण हानि है(टैरिफ आदेश में);

'अंतर-राज्य संचरण हानियाँ (प्रतिशत में)' से अभिप्राय है उन स्वीकृत अंतर-राज्य संचरण हानियों से, जो टैरिफ आदेश के अनुसार निर्धारित की गई हैं;

'राज्य के भीतर संचरण हानियाँ (प्रतिशत में)' से अभिप्राय है उन स्वीकृत राज्य के भीतर संचरण हानियों से, जो टैरिफ आदेश के अनुसार निर्धारित की गई हैं;

D. विद्युत क्रय लागत में विचलन निपटान तंत्र (Deviation Settlement Mechanism) से संबंधित किसी भी शुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा।

E. अन्य शुल्क, जिनमें सहायक सेवाएँ (Ancillary Services) और सुरक्षा-सीमित आर्थिक प्रेषण (Security Constrained Economic Dispatch) शामिल हैं, उन्हें ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge) में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका समायोजन आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू-अप (true-up) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

विलंबित भुगतान अधिभार

10.75 यदि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की खुदरा आपूर्ति के लिए जारी किए गए किसी भी बिल के भुगतान में विलंब होता है या भुगतान नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता को बकाया बिल राशि पर, जिसमें लागू कर, उपकर, शुल्क और वैधानिक अधिभार शामिल हैं, निम्नलिखित देय तिथियों के बाद विलंबित भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge - LPS) का भुगतान करना होगा:

i. उच्च वोल्टेज (HT) और अति उच्च वोल्टेज (EHT) उपभोक्ता – बिल जारी होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर।

ii. निम्न वोल्टेज (LT) उपभोक्ता – बिल जारी होने की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर।

10.76 विलंबित भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge) की दर होगी:

i. दिए गए नियमों के अनुसार, निर्धारित अंतिम तिथि के बाद साठ दिनों (60) तक की देरी के लिए, उपभोक्ता पर बकाया राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) लागू किया जाएगा, जो साधारण ब्याज के आधार पर गणना की जाएगी।

ii. साठ दिनों (60) से अधिक और नब्बे दिनों (90) तक की देरी की स्थिति में — साठ दिनों (60) से अधिक की अवधि के लिए, उपर्युक्त **उपखंड 10.76(i)** के अनुसार बढ़ी हुई लागत पर अतिरिक्त चौदह प्रतिशत (14%) वार्षिक दर से साधारण ब्याज के आधार पर विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज संचित बकाया राशि पर लगाया जाएगा, जिसमें अर्जित विलंबित भुगतान अधिभार (LPS) तथा वैधानिक शुल्क शामिल होंगे।

iii. 90 दिनों से अधिक की देरी पर — 90 दिनों (90) से अधिक की अवधि के लिए,

उपर्युक्त **उपखंड 10.76(ii)** के अनुसार बढ़ी हुई लागत पर अतिरिक्त सोलह प्रतिशत (16%) वार्षिक दर से साधारण ब्याज के आधार पर ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज कुल बकाया राशि पर लगाया जाएगा, जिसमें अर्जित विलंबित भुगतान अधिभार (LPS) और वैधानिक शुल्क शामिल हैं।.

10.77 ये प्रावधान मौजूदा विद्युत आपूर्ति अनुबंधों (Power Supply Agreements) या द्विपक्षीय व्यवस्थाओं (bilateral arrangements) में किसी भी विरोधाभासी शर्तों पर प्राथमिकता रखेंगे। हालाँकि, यदि संविदात्मक रूप से कम विलंबित भुगतान अधिभार (LPS) पर सहमति हो, तो वह लागू होगा, बशर्ते आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो।

10.79 उपभोक्ताओं से प्राप्त भुगतान को समय-चिह्नित किया जाएगा और निम्नलिखित क्रम में पुनः उपयोग (appropriated) किया जाएगा:

i. प्रथम, अर्जित विलंबित भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge) के विरुद्ध;

ii. भुगतान राशि को उसके बाद सबसे पुराने बकाया मूल बिल राशि के विरुद्ध उपयोग किया जाएगा, जो कि सबसे अधिक लंबित बिल से शुरू होगा।

उदाहरण स्वरूप:

उपभोक्ता को 1 जुलाई को ₹1,00,000 का बिल दिया गया। क्लॉज 10.75 के प्रावधानों के अनुसार, ईएचटी (EHT) उपभोक्ता के लिए देय तिथि 15 जुलाई होगी और एलटी (LT) उपभोक्ता के लिए 21 जुलाई, जिसके दौरान कोई लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) लागू नहीं होगा। यदि उपभोक्ता ने भुगतान 20 अक्टूबर को किया, तो LPS की गणना इस प्रकार होगी:

एक **एचटी** (HT) और **ईएचटी** (EHT) उपभोक्ता के लिए, क्लॉज 10.75 के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार (LPS) की पहली स्लैब 12% वार्षिक दर से, 15 दिनों की ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद, यानी 16 जुलाई से 29 अगस्त तक (60 दिनों में से 45 दिन) लागू होगी, जिससे लगभग ₹1,479 का LPS बनेगा।

इसके बाद, 30 अगस्त से 28 सितंबर तक के अगले 30 दिनों के लिए, कुल बकाया राशि (प्रिंसिपल और पिछली स्लैब का अर्जित LPS) पर 14% वार्षिक दर से LPS लगेगा, जिसका जोड़ लगभग ₹1,168 होगा।

90 दिनों से अधिक विलंब पर, अर्थात 29 सितंबर से 20 अक्टूबर तक (22 दिन), पूरी बकाया राशि (प्रिंसिपल और दोनों स्लैब के LPS सहित) पर 16% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, जिससे लगभग ₹964 का अतिरिक्त LPS बनेगा।

अतः, 20 अक्टूबर को कुल देय राशि ₹1,03,611 होगी, जो पहले LPS के लिए विनियोजित होगी और फिर बकाया मूलधन के लिए, जैसा कि क्लॉज 10.79 में निर्दिष्ट है।

एक **एलटी** (LT) उपभोक्ता के लिए, लागू देय तिथि 21 जुलाई है। इसके अनुसार, 21 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद, यानी 22 जुलाई से 29 अगस्त तक (39 दिन), पहली स्लैब के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से विलंबित भुगतान अधिभार (LPS) लागू होगा, जिससे लगभग ₹1,282 का LPS बनेगा।

इसके बाद, 30 अगस्त से 28 सितंबर तक के अगले 30 दिनों के लिए, कुल बकाया राशि (प्रिंसिपल और पहली स्लैब से अर्जित LPS) पर 14% वार्षिक दर से LPS लगेगा, जिससे लगभग ₹1,165 का अतिरिक्त LPS उत्पन्न होगा।

90 दिनों से अधिक विलंब पर, अर्थात 29 सितंबर से 20 अक्टूबर तक (22 दिन), कुल बकाया राशि (प्रिंसिपल एवं पिछले दो स्लैबों का LPS सहित) पर 16% वार्षिक दर से LPS लागू होगा, जिससे करीब ₹964 का अतिरिक्त LPS होगा।

अतः, 20 अक्टूबर को कुल देय राशि ₹1,03,412 होगी, जिसे पहले LPS के लिए विनियोजित किया जाएगा और फिर बकाया मूलधन के लिए, जैसा कि क्लॉज 10.79 में उल्लेखित है।

त्वरित भुगतान छूट

10.80 उपभोक्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारक द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 5 दिनों के भीतर बिलों (क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क) का भुगतान करने पर 2.00% की छूट (रिबेट) दी जाएगी।

नोट: 5 दिनों की गणना करते समय, दिनों की संख्या लगातार गिनी जाएगी और किसी भी अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि अंतिम दिन या 5वां दिन सरकारी अवकाश हो, तो रियायत (Rebate) के प्रयोजन के लिए 5वां दिन तत्काल अगले कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा (जैसा कि उस राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में निर्धारित है, जहाँ लाभार्थी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या प्रतिनिधि का कार्यालय बिल प्राप्त करने या स्वीकार करने के लिए स्थित है)।

लोड फैक्टर का प्रावधान / उपचार

10.81 आयुक्त (Commission) उपभोक्ताओं के एक विशेष वर्ग के लोड फैक्टर (load factor) को एक निर्धारित स्तर (stipulated level) पर बनाए रखने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि आयुक्त (Commission) द्वारा तय किया जाता है। इस स्तर से ऊपर या नीचे लोड फैक्टर रखने पर छूट के माध्यम से प्रोत्साहन (incentive) दिया जा सकता है या अधिभार (surcharge) के माध्यम से दंड लगाया जा सकता है, जैसा कि स्थिति के अनुसार उपयुक्त हो।

10.82 लोड फैक्टर छूट की गणना के उद्देश्य से उपभोक्ता का लोड फैक्टर (load factor) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:

$$\text{Load Factor (\%)} = \frac{\text{Energy Consumed in kWh for the billing period} \times 100}{\left(H - \sum Hi\right) \times MD + \sum (Hi \times RDi)}$$

जहाँ,

H = बिलिंग अवधि में कुल घंटे

MD = लोड फैक्टर की गणना के लिए अधिकतम मांग (किलोवाट या किलोवोल्ट-एम्पियर में)

= विलेख अवधि में रिकॉर्ड किया गया अधिकतम मांग या अनुबंध मांग का 85% — जो भी अधिक हो — को विलेख के लिए लिया जाएगा।

Hi = यह प्रावधान उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति में हुए प्रत्येक iवें अवरोध / कुल विद्युत कटौती / आंशिक प्रतिबंध की अवधि से संबंधित है, जैसा कि इन विनियमों के 10.83 खंड में निर्दिष्ट है

RDi= उपभोक्ता पर iवें अवरोध या प्रतिबंध की अवधि के दौरान लगाए गए प्रतिबंधित लोड या उस अवधि के दौरान वास्तविक ऊर्जा खपत में से जो भी अधिक हो, उसे माना जाएगा।.

10.83 लोड फैक्टर की गणना उस अवधि को शामिल नहीं करेगी जो संबंधित बिलिंग अवधि का हिस्सा हो और जब उपभोक्ता का लोड वितरण लाइसेंसधारक की किसी भी प्रणालीगत दोष के कारण या वितरण लाइसेंसधारक के अपने उत्पादन स्रोतों या अन्य विद्युत आपूर्तिकर्ताओं से विद्युत आपूर्ति कम होने के कारण या उपभोक्ता द्वारा विद्युत खींचने पर लाइसेंसधारक द्वारा लोड पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण बाधित, पूरी तरह से बंद या आंशिक रूप से प्रतिबंधित हो। ऐसे अवरोध में ग्रिड फेल्योर, स्वचालित अंडर फ्रीक्वेंसी रिले ट्रिपिंग या किसी भी ऐसे दैवीय घटना शामिल हैं जो लाइसेंसधारक से संबंधित नहीं हैं।

10.84 इन विनियमों के विनियमन 10.82 में प्रदत्त लोड फैक्टर की गणना के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:

i. यदि अधिकतम मांग (एमडी) केवीए में है, तो उसे निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए केडब्ल्यू में परिवर्तित किया जाएगा:

केडब्ल्यू = केवीए × पीएफ, जहाँ पीएफ पावर फैक्टर है।

ii. यदि आरडी$_i$ केवीए में है, तो उसे निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए केडब्ल्यू में परिवर्तित किया जाएगा:

केडब्ल्यू = केवीए × पीएफ, जहाँ पीएफ पावर फैक्टर है।

iii. जब अनुबंधित मांग के 85% या उससे कम को अधिकतम मांग के रूप में दर्ज किया जाता है, तो पीएफ को माह के औसत पावर फैक्टर के रूप में माना जाएगा।

iv. जब अधिकतम मांग (एमडी) वास्तविक दर्ज अधिकतम मांग का प्रतिनिधित्व करती है, जो अनुबंधित मांग के 85% से अधिक है, तो पीएफ अधिकतम मांग दर्ज किए जाने की अवधि के अनुरूप समय ब्लॉक का वास्तविक औसत पावर फैक्टर होगा।

v. पूर्ण लोड शेडिंग या आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में, आरडी$_i$ को शून्य माना जाएगा।

अध्याय **IV:**

ए.आर.आर. और भार शुल्क दाखिल करने की प्रक्रिया

A11.मल्टी-ईयर शुल्क दाखिल करने की प्रक्रिया

11.1 मल्टी-ईयर शुल्क दाखिलियां इन विनियमों के अंतर्गत और जेएसईआरसी (व्यापार संचालन) विनियम, **2024**, यथा संशोधित या पुनः प्रवर्तित समय-समय पर, के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाएंगी।

11.2 मल्टी-ईयर शुल्क रूपरेखा निम्नलिखित पर आधारित होगी:

a) नियंत्रण अवधि के आरंभ से पूर्व आयोग के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये लाइसेंसधारियों के व्हीलिंग एवं खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के पूरे नियंत्रण अवधि के लिए **व्यापार योजना**;

b) लाइसेंसधारियों द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अपेक्षित ए.आर.आर. के पूर्वानुमान, व्हीलिंग शुल्क और आगामी नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के खुदरा आपूर्ति शुल्क पर आधारित मल्टी-ईयर याचिका, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अंतर्निहित वित्तीय और परिचालन सिद्धांतों/पैरामीटरों पर और व्यापार योजना के आधार पर उचित अनुमानित किया गया हो;

c) विशिष्ट मानकों/पैरामीटरों के लिए वह दिशा/गतिशीलता जो आयोग द्वारा लाइसेंसधारी के प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रोत्साहन एवं अनुप्रेरणा द्वारा निर्धारित की जायेगी;

d) **प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा** जो स्वीकृत पूर्वानुमान के सापेक्ष संचालित की जायेगी और प्रदर्शन में अंतर को नियंत्रणीय एवं अ-नियंत्रणीय कारकों में वर्गीकृत करेगी।

11.3 लाइसेंसधारी को मल्टी-ईयर शुल्क दाखिला आयोग को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भी प्रस्तुत करना होगा।

11.4 **लाइसेंसधारी**, **एमवाईटी ढाँचे तथा इन विनियमों केअनुभाग** A-24 **में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार**, **नियंत्रण अवधि केलिए खुदरा आपूर्ति व्यवसाय और व्हीलिंग व्यवसाय के अनुमोदन हेतु एमवाईटी याचिका एवं संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा**; **ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग स्वतःज्ञान से** बहुवर्षीय शुल्क **आदेश जारी कर सकता है।**

11.5 लाइसेंसी खुदरा आपूर्ति व्यवसायऔर व्हीलिंग व्यवसायके लिए, संबंधित व्यवसायों से संबंधित व्यय और राजस्व की आवश्यक जानकारी सहित, बहुवर्षीय शुल्क याचिकादायर करेगा।

नियंत्रण अवधि की शुरुआत से पूर्व

11.6 लाइसेंसी आयोग की स्वीकृति हेतु, **अनुभाग A 24** में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, इन विनियमों के **उप-विधान6.9** से **6.15** के अनुरूप, एक व्यवसाय योजनाएवंMYT याचिका प्रस्तुत करेगा।

नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक शुल्क आवेदन

11.7 लाइसेंसी प्रत्येक नियंत्रण अवधि वर्ष के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्कऔर व्हीलिंग शुल्क की स्वीकृति हेतु, इन विनियमों के अनुभाग **A24** में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत से पूर्व आवेदन दायर करेगा।

11.8 लाइसेंसी क्षमता-आधारित व्हीलिंग शुल्क (**capacity-based wheeling tariff)** प्रस्तावित करेगा। लाइसेंसी को प्रणाली में हानियों के समायोजन के लिए वोल्टेज-वार वितरण हानियों

(**voltage-wise distribution losses)** को भी निर्दिष्ट करनाहोगा।

.

11.9 व्हीलिंग शुल्क के लिए प्रस्तुतियाँ (**filings)** में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) व्यवसाय योजना, अंकेक्षित मूल्यों (**trued-up values)** और वार्षिक प्रदर्शन के अनुरूप, नियंत्रण अवधिके प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण प्रणाली या नेटवर्क उपयोग का पूर्वानुमान;

b) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए राजस्व अंतर या अधिशेष (**Revenue Gap or Surplus)** तथा प्रत्येक वर्ष के लिए उस राजस्व अंतर या अधिशेष को पूरा/समायोजित करने हेतु शुल्क प्रस्ताव;

c) इन विनियमों के उप-विधान **10.3** से **10.6** के अनुसार, आधार वर्षके लिए अनुमानित संचालन एवं अनुरक्षण व्यय (**O&M Expenses)** तथा पिछले नियंत्रण अवधि के लिए अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय, और प्रत्येक वर्ष के लिए उनका पूर्वानुमान;

d) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बिजली के वोल्टेज-वार व्हीलिंग हेतु शुल्क की गणना का प्रस्ताव, जिसमें हानियाँ और उनकी गणना की प्रक्रिया शामिल होगी;

e) गैर-शुल्क आयके लिए वस्तु-वार विवरण एवं जानकारी सहित प्रस्ताव;

f) अन्य व्यवसायों से प्राप्त आय, जैसे परामर्श सेवाएँ, कन्वर्जेंस (**Convergence),** प्रशिक्षण सुविधाएँआदि के संबंध में प्रस्ताव;

g) प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क से अपेक्षित राजस्व, जिसमें अतिरिक्त अधिभार, क्रॉस सब्सिडी अधिभारआदि शामिल होंगे।

11.10 खुदरा आपूर्ति शुल्कके लिए **प्रस्तुतियाँ (**filings) **में निम्नलिखित शामिल होंगे**:

a) **लाइसेंसधारी खुदरा आपूर्ति व्यवसाय से संबंधित उपभोक्ताओं केलिए विद्युत की खुदरा बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा**, **जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी केलिए—ग्रीन टैरिफ सहित—लागू होने के अनुसार स्लैब-वार एवं वोल्टेज-वार टैरिफ शामिल होंगे। प्रस्तावित टैरिफ ऊर्जा शुल्क**, **मांग शुल्क**, **न्यूनतम शुल्क आदि के आधार पर भी हो सकता है**, **साथ ही टैरिफ के युक्तिकरण** (**रैशनलाइजेशन**) **से संबंधित उपाय भी सम्मिलित होंगे।**;

b) नियंत्रण अवधिके प्रत्येक वर्ष के लिए राजस्व अंतर / अधिशेषतथा प्रत्येक वर्ष के उस राजस्व अंतर / अधिशेष को पूरा या समायोजित करने हेतु शुल्क प्रस्ताव। यह विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए आपूर्ति लागत तथा क्रॉस-सब्सिडी में कमी (**cross-subsidy reduction roadmap)** पर आधारित होना चाहिए;

c) इन विनियमों के उप-विधान **10.3** से **10.6** के अनुसार, आधार वर्षके लिए अनुमानित संचालन एवं अनुरक्षण व्यय (**O&M Expenses)** तथा पिछले नियंत्रण अवधि के लिए अंकेक्षित लेखोंके अनुसार वास्तविक व्यय, और प्रत्येक वर्ष के लिए उनका पूर्वानुमान;

d) गैर-शुल्क आयके लिए वस्तु-वार विवरण और जानकारी सहित प्रस्ताव;

e) लाइसेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक शुल्क प्रस्ताव को सेवा लागत मॉडल द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें लाइसेंसीकृत व्यवसाय की लागतों को वोल्टेज-वार लागतों एवं हानियों के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता वर्ग को आवंटित किया जाएगा;

f) लाइसेंसी के प्रस्तावों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि शुल्क क्रमिक रूप से आपूर्ति की लागतको प्रतिबिंबित कर रहे हैं;

g) प्रस्तावित खुदरा आपूर्ति शुल्क से अपेक्षित राजस्व, तथा लाइसेंसी द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य बातें, जिनमें उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ, क्रॉस-सब्सिडी अधिभारआदि शामिल हैं;

h) इन विनियमों के उप-विधान **10.74** में उल्लिखित सूत्र के अनुसार गणना किया गया लागू

एफ.पी.पी.पी.ए. (**FPPPA)** शुल्क।

A12.आवेदन का निस्तारण

12.1 आयोग लाइसेंसी द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का इन विनियमों तथा **झारखंडराज्यविद्युतविनियामकआयोग** (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 (JSERC Conduct of Business Regulations, 2024) और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निस्तारण करेगा।

12.2 लाइसेंसी की प्रस्तुतियों, जनसाधारण एवं अन्य हितधारकों की आपत्तियों/सुझावों के आधार पर, आयोग आवेदन को आवश्यक संशोधनों और/या उपयुक्त शर्तों के साथ स्वीकार कर सकता है और आवेदन प्राप्ति की तिथि से**एकसौबीस(**120) दिनों के भीतर, सभी सार्वजनिक सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत एक आदेश जारी करेगा। उक्त आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, आधार वर्षसे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए ट्रू-अप राजस्व एवं लागत घटकों का निर्धारण, आधार वर्ष के लिए मानकों का आकलन, तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु खुदरा आपूर्ति एवं व्हीलिंग व्यवसाय के लिए ए.आर.आर. (**ARR)** एवं शुल्क का निर्धारण सम्मिलित करेगा। आदेश में स्वीकृत व्यवसाय योजना, नियंत्रणीय मदों के लक्ष्य तथा नियंत्रण अवधि हेतु आपूर्ति गुणवत्ताके प्रदर्शन लक्ष्य भी शामिल होंगे।

A13.सामयिक समीक्षाएँ

नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा

13.1 बहुवर्षीय शुल्क (**MYT)** ढांचे के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, आयोग नियंत्रण अवधि के दौरान लाइसेंसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा (**periodic review)** कर सकता है, ताकि किसी भी व्यवहारिक कठिनाई, चिंता या अप्रत्याशित परिणामों का समाधान किया जा सके।

13.2 लाइसेंसी को आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि की शुरुआत में अनुमोदित लक्ष्यों की तुलना में अपने वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु, इन विनियमों के अनुभाग **A24** में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में उसका वार्षिक प्रदर्शन तथा लेखे, जिनमें अंकेक्षित/प्रमाणितलेख शामिल हों, एवं इन विनियमों के अनुसार गणना किए गए शुल्क का विवरण सम्मिलित होगा।

13.3 लाइसेंसी इन विनियमों के अनुभाग **A24** में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, ए.आर.आर. (**ARR)** के ट्रू-अप (**True-up)** और संबंधित शुल्क समायोजन भी प्रस्तुत करेगा। संशोधित अनुमानों की आवश्यकता होगी ताकि अनियंत्रिय विचलनों (**uncontrollable variations)** के कारण लागतों का ट्रू-अप किया जा सके, लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन की स्थिति में लाभ-साझाकरण तंत्रलागू किया जा सके, और आपूर्ति गुणवत्तालक्ष्यों हेतु प्रदर्शन ढांचे को कार्यान्वित किया जा सके।

13.4 आयोग, नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए, लाइसेंसी के पूर्वानुमानों में आवश्यक संशोधन निर्दिष्ट कर सकता है, साथ ही उसके विस्तृत कारण भी बताएगा।

नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

13.5 नियंत्रण अवधि के अंत की ओर, आयोग यह समीक्षा करेगा कि क्या इन विनियमों में निहित सिद्धांतों का कार्यान्वयन अपने अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सका है। इस प्रक्रिया में आयोग उद्योग संरचना, क्षेत्रीय आवश्यकताएँ, उपभोक्ता एवं अन्य हितधारकों की अपेक्षाएँ, और उस समय पर लाइसेंसी की आवश्यकताओं सहित अन्य बातों को भी ध्यान में रखेगा। अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, आयोग अगली नियंत्रण अवधि के लिए सिद्धांतों में संशोधन कर सकता है।

13.6 आयोग, झारखंड के हित धारकों तथा क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों की सहायता से, इन विनियमों केलिए व्यापक विनियामक प्रभाव आकलन कर सकता है।

13.7 नियंत्रण अवधि का अंत अगली नियंत्रण अवधि की शुरुआत माना जाएगा, और आयोग

द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किए बिना, लाइसेंसी को वही प्रक्रिया अपनानी होगी।

13.8 आयोग नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष लाइसेंसधारी के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकता है तथा वास्तविक प्रदर्शन, अपेक्षित दक्षता सुधार और अन्य प्रचलित कारकों के आधार पर आगामी नियंत्रण अवधि केलिए प्रारंभिक मान निर्धारित कर सकता है।

वोल्टेज रिबेट

10.85 सभी उपभोक्ता उस वोल्टेज स्तर के आधार पर ऊर्जा शुल्क पर रिबेट के पात्र होंगे, जिस वोल्टेज स्तर पर वे वास्तव में जुड़े हुए हैं, भले ही झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के खंड 4.3 में निर्दिष्ट वोल्टेज स्तर कुछ भी हो, तथा जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के खंड 4.5 के अनुसार लागू वोल्टेज रिबेट/सरचार्ज भी लागू होगा।

10.86 लागू दरें निम्नानुसार होंगी:

(i) 33 केवी पर जुड़े उपभोक्ता ऊर्जा शुल्क पर **तीन प्रतिशत (3%) वोल्टेज रिबेट** के पात्र होंगे।

(ii) 132 केवी एवं उससे अधिक पर जुड़े उपभोक्ता ऊर्जा शुल्क पर **चार प्रतिशत (4%) वोल्टेज रिबेट** के पात्र होंगे।

10.87 उपर्युक्त रिबेट केवल मासिक आधार पर ही उपलब्ध होगा, तथा जिन उपभोक्ताओं पर बकाया राशि है, वे इस रिबेट के पात्र नहीं होंगे। तथापि, जिन उपभोक्ताओं पर बकाया देयक लंबित हैं और जिन पर सक्षम न्यायालयों द्वारा स्थगन (स्टे) प्रदान किया गया है, उन्हें लागू रिबेट की अनुमति दी जाएगी

अन्य रियायतें और अधिभार

उपभोक्ताओं पर लागू होने वाले किसी भी अन्य रिबेट या सरचार्ज, जिसमें वोल्टेज रिबेट/सरचार्ज, पावर फैक्टर रिबेट/सरचार्ज आदि शामिल हैं| लेकिन इन्ही तक सीमित नहीं हैं, उस प्रकार लागू होंगे जैसा कि आयोग द्वारा जारी मल्टी ईयर टैरिफ (MYT) / वार्षिक टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट है या झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2015 में, प्रथम संशोधन विनियम, 2018 और द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में, या समय-समय पर किए गए किसी भी अन्य संशोधन या पुनःप्रवर्तन

अध्याय V: विविध उपबंध

A14.आदेशों और व्यवहार निर्देशों का निर्गमन

14.1 अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विषयों पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश और व्यवहार निर्देश जारी कर सकता है, जिन पर आयोग को इन विनियमों द्वारा निर्देशन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तथा उनसे संबंधित या उनके सहायक विषयों पर भी।

14.2 इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, आयोग के पास, चाहे स्वतः संज्ञान लेकर या किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा दायर याचिका पर, किसी भी आवेदक का दर (टैरिफ) निर्धारित करने का अधिकार होगा।

A15.निर्देशों कीअवमानना

15.1 राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Dispatch Centre) एकीकृत प्रणाली परिचालन सुनिश्चित करने के लिए तथा अधिकतम अर्थव्यवस्था और दक्षता प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार निर्देश दे सकता है और पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण कर सकता है, तथा प्रत्येक लाइसेंसधारी, जनन कंपनी, उपकेंद्र तथा विद्युत तंत्र के परिचालन से जुड़े अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।

15.2 यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो उस पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

A16.विवाद निवारण

16.1विवादकीस्थितिमें, कोई भी पक्ष, विवाद के समाधान हेतु, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय निर्वहन) विनियम, 2024, जो समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं या उनके वैधानिक पुन: अधिनियमन सहित, के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

A17.कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17.1 यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न होते हुए, वितरण लाइसेंसधारी(यों) आदि को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत होने वाले निर्देश जारी कर सकता है, ताकि उस कठिनाई को दूर किया जा सके।

17.2 लाइसेंसधारी इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

A 18. शिथिलीकरण(Relaxation) की शक्ति

18.1 आयोग, जनहित में तथा लिखित रूप में कारण अंकित करते हुए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

A 19. व्याख्या

19.1 यदि इन विनियमों के किसी उपबंध की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

A 20. आयोग की निहित शक्तियों का संरक्षण

20.1 इन विनियमों में निहित कोई भी बात आयोग की निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी, जिसके अंतर्गत आयोग किसी विशिष्ट परिस्थितियों वाले विषय या विषयों के वर्ग के मामले में या अन्य

उपयुक्त कारणों से, इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया अपनाने को आवश्यक या उपयुक्त समझे, तो वह लिखित रूप में कारण अंकित करते हुए ऐसा कर सकता है।

A 21. जांच और अन्वेषण

21.1 इन विनियमों के अंतर्गत की जाने वाली सभी जांचें, अन्वेषण तथा निर्णय, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय निर्वहन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, के तहत आयोग द्वारा की जाएंगी।

A 22. संशोधन की शक्ति

22.1 आयोग समय-समय पर इस विनियमन के किसी भी उपबंध को जोड़ने, परिवर्तित करने, संशोधित करने, निलंबित करने, परिवर्धित करने, निरस्त करने या हटाने की शक्ति रखता है।

A 23. संरक्षण प्रावधान (Savings)

23.1 इन विनियमों में निहित कोई भी बात आयोग की इस निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी कि आयोग न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति या अपने प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक आदेश पारित कर सके।

23.2 इन विनियमों में निहित कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तथा लिखित रूप में कारण अंकित करते हुए यह आवश्यक या उपयुक्त समझे कि उस विषय या विषयों के वर्ग से ऐसे तरीके से निपटा जाए।

23.3 इन विनियमों में निहित कोई भी बात आयोग को उन विषयों से निपटने या उन शक्तियों का प्रयोग करने से, जिनके लिए कोई विनियम बनाए नहीं गए हैं स्पष्ट या निहित रूप से नहीं रोकेगी, और आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों और कार्यों से उस प्रकार निपट सकता है जैसा उसे उचित प्रतीत हो।

A 24. समयसीमा का सारांश

S.No	विवरण	दस्तावेज़ दाखिल करनेकीतिथि	आयोग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना	आवेदन का निपटान
1.	नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना और नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय शुल्क (MYT) याचिका, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए रिटेल और व्हीलिंग शुल्क शामिल हैं।	30 नवंबर, 2025	आयोगद्वारासूचनामांगनेवालेपत्र जारीकियेजानेकेपंद्रह(15) दिनोंकेभीतर	आवेदन स्वीकार होने के एकसौबीस (120)दिनों के भीतर
2.	पिछले वर्ष के लिए समंजन (ट्रू-अप), वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, और नियंत्रण अवधि के अगले वर्ष के लिए वार्षिक आवश्यक राजस्व वसूली (ARR) एवं शुल्क निर्धारण	जिस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) मांगी गई हो, उस वर्ष की 30 नवम्बर	आयोगद्वारासूचनामांगनेवालेपत्र जारीकियेजानेकेपंद्रह(15) दिनोंकेभीतर	आवेदन स्वीकार होने के एकसौबीस (120)दिनों के भीतर

परिशिष्ट-I: मूल्यह्रास अनुसूची

संपत्तिविवरण	सीधीरेखामूल्यह्रास(%)
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.00
पट्टे के अधीन भूमि	2.67
जमीन में निवेश के लिए	2.67
साइट साफ़ करने की लागत के लिए	2.67
नई खरीदी गई संपत्तियां:	
भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
i) कार्यालय और शोरूम	2.67
ii) अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी के ढांचे	100
iii) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	2.67
iv) अन्य	2.67
ट्रांसफार्मर, कियोस्क, सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (प्लांट नीं व सहित)	
i) 100 केवीए और उससे अधिक रेटिंग वाले फ़ाउंडेशन सहित ट्रांसफ़ॉर्मर	4.22
ii) अन्य	4.22
स्विच गियर, केबल कनेक्शन सहित	4.22
बिजली रोकने वाले	4.22
बैटरियों	12.77
केबल और डक्ट सिस्टम	4.22
केबलसमर्थन सहित ओवरहेड लाइनें	
i) 66 केवीसे अधिकटर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट पर चलने वाली लाइनें	4.22
ii) 13.2 केवीसे अधिक, लेकिन 66 केवीसे अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट पर चलने वाली लाइनें	4.22
iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट समर्थन पर लाइनें	4.22
iv) उपचारित लकड़ी के आधार पर रेखाएँ	4.22
मीटर	12.77
स्व-चालित वाहन	12.77
एयरकंडीशनिंग संयंत्र	
i) स्थिर	4.22
ii) पोर्टेबल	7.60
कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, आंतरिक वायरिंगऔरस्ट्रीट लाइट फिटिंग	6.33

परिसंपत्तिविवरण	स्ट्रेटलाइनमूल्यह्रास (%)
उपकरण किराए पर दिए गए	
i) मोटरों के अलावा अन्य	7.60
ii) मोटर	4.22

परिसंपत्तिविवरण	स्ट्रेटलाइनमूल्यह्रास (%)
संचार उपकरण	6.33
आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर	15.00
कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर कवर नहीं की गई है	4.22 (या जैसे कि आयोग द्वारा परिसंपत्ति आयु और अपशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया हो)

इस "झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2025" के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जायेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

आर.पी. नायक,
सचिव
झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 35 - 50